योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उ0प्र0

जिला पंचायत सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु संदर्भ साहित्य

पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, प्रिट लोहिया भवन, अलीगंज, लखनऊ, उ0प्र0

जिला पंचायत सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु संदर्भ साहित्य

संरक्षण एवं मार्ग–निर्देशन

श्री मनोज कुमार सिंह
आई.ए.एस.
अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश शासन।

श्री अनुज कुमार झा
आई.ए.एस.
निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सम्पादक

श्रीमती प्रवीणा चौधरी
संयुक्त निदेशक, प्रिट
उत्तर प्रदेश।

संकलन एवं प्रस्तुतिकरण

श्री मनीष कुमार मिश्र,
फैकल्टी, प्रिट

मनोज कुमार सिंह,
आई.ए.एस.,
अपर मुख्य सचिव,
पंचायती राज विभाग,
उ0प्र0 शासन।

संदेश

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के एक प्रमुख इकाई के रूप में जिला पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायतों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि विकेन्द्रीकृत नियोजन की प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम व समुचित उपयोग करते हुए जिला पंचायतें अपनी जिला पंचायत विकास योजना का निर्माण करें।

जिला पंचायत विकास योजना तैयार करने में जिला पंचायत सदस्यों की अहम भूमिका है। जिला पंचायत सदस्यों को नियामक विषयों, पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं जिला पंचायत द्वारा की जाने वाले गतिविधियों की जानकारी आवश्यक है। यह हर्ष का विषय है कि जिला पंचायत सदस्यों के उन्मुखीकरण एवं क्षमता संवर्धन हेतु पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) द्वारा प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है एवं प्रशिक्षण हेतु सन्दर्भ साहित्य का प्रकाशन किया जा रहा है।

मैं आशा करता हूँ कि प्रकाशित सन्दर्भ साहित्य जिला पंचायत सदस्यों हेतु मार्ग दर्शक के रूप में अत्यन्त ही लाभदायक सिद्ध होगी।

(मनोज कुमार सिंह)

अनुज कुमार झा,
आई.ए.एस.,
निदेशक,
पंचायतीराज, उ0प्र0।

संदेश

लोकतंत्र की संवैधानिक संस्था के महत्वपूर्ण स्तम्भ के रूप में जिला पंचायतें स्थापित है। जिला पंचायत संस्था को सृदृढ़ बनाने में जिला पंचायत सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

जिला पंचायत सदस्य अपनी भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वहन करने में तभी सफल हो सकते है जब उनको उनसे संबंधित समस्त विषयों की पर्याप्त जानकारी हो। उक्त के दृष्टिगत पंचातयी राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) द्वारा जिला पंचायत सदस्यों के प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रिट द्वारा जिला पंचायत सदस्यों को महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी देने हेतु सन्दर्भ साहित्य का प्रकाशन किया जा रहा है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रशिक्षण सन्दर्भ साहित्य जिला पंचायत सदस्यों की कार्य क्षमता में वृद्धि करने में निश्चित रूप से सफल होगी।

(अनुज कुमार झा)

विषय–वस्तु

सत्र संख्या	सत्र का नाम	पृष्ठ संख्या
1	जिला पंचायत का गठन एवं अध्यक्ष के कार्य व दायित्व	
2	केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित आयोग	
3	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0)	
4	पंचायत कल्याण कोष	
5	मातृ भूमि योजना	
6	स्वयं की आय स्रोत ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत (OSR)	
7	ज़िला पंचायत विकास योजना **(DPDP)**	
8	सतत् विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण (L.S.D.G.)	
9	जिला पंचायत में ई–गवर्नेंस की स्थापना	
10	पंचायत पुरस्कार	

1
जिला पंचायत का गठन एवं अध्यक्ष के कार्य व दायित्व

" अगर कोई आज पेड़ की छांव में बैठा है तो इसकी वजह यह है कि किसी ने बहुत समय पहले वह पेड़ लगाया होगा।"

– वारेन बफेट

पृष्ठभूमि

यद्यपि क्षेत्र पंचायत तथा ज़िला पंचायत अधिनियम 1961 पहले से ही लागू था लेकिन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को योजना निर्माण, क्रियान्वयन तथा वित्तीय संसाधन के सम्बन्ध में व्यापक अधिकार मिले।

ज़िला पंचायत – एक दृष्टि में।

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा ज़िला पंचायत अधिनियम 1961 के द्वारा शासकीय कृत्यों के लोक तंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को आगे बढ़ाने, ग्राम्य क्षेत्रों में सम्यक् स्थानीय शासन सुनिश्चित करने और यूनाइटेड प्राविन्सेज़ पंचायत राज एक्ट, 1947 के अधीन स्थापित ग्राम सभाओं के अधिकारों तथा कृत्यों का क्षेत्र पंचायतों एवं ज़िला पंचायतों से समन्वय करने के लिए खण्ड तथा ज़िला स्तरों पर कुछ शासकीय कृत्यों के सम्पादनार्थ उ0प्र0 के ज़िलों में क्रमशः क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों की स्थापना की व्यवस्था की गयी।

1. **अधिनियम का उद्देश्यः–**
   1. ग्राम्य क्षेत्रों में स्थानीय शासन सुनिश्चित करना।
   2. पंचायती राज संस्थाओं में समन्वय।
   3. खण्ड एवं ज़िला स्तर पर कतिपय शासकीय कृत्यों का सम्पादन।
2. **ज़िला पंचायत संघटन एवं निगमनः–**

   प्रत्येक ज़िले के लिए एक ज़िला पंचायत होगी, जिसका नाम उस ज़िले के नाम पर होगा। ज़िला पंचायत एक निगमित निकाय होगी।

   – (अधिनियम की धारा 17)

3. **ज़िला पंचायत की संरचना** –

   ज़िला पंचायत का एक अध्यक्ष होगा और ज़िला पंचायत निम्नलिखित से गठित होगीः–
   1. ज़िले में समस्त क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख।
   2. निर्वाचित सदस्य, जो ज़िला पंचायत के, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन, द्वारा चुने जायेंगे।
   3. लोकसभा के सदस्य और राज्य विधान सभा के सदस्य, जिनके निर्वाचन क्षेत्र में जिला पंचायत का कोई भाग समाविष्ट हो।
   4. राज्य सभा के सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्य जो जिला पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं।

   – (अधिनियम की धारा 18)

4. **अध्यक्ष का निर्वाचन** – प्रत्येक जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही एक अध्यक्ष चुना जायेगा।

   – (अधिनियम की धारा 19)

5. **जिला पंचायत और सदस्यों का कार्यकाल** – प्रत्येक जिला पंचायत, यदि धारा 232 के अधीन, उसे पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो, अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत दिनांक से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए रहेगी।

   – (अधिनियम की धारा 20)

6. **अध्यक्ष का कार्यकाल** – अध्यक्ष का कार्यकात जिला पंचायत की प्रथम बैठक से प्रारम्भ होगा और ज़िला पंचायत के कार्यकाल तक रहेगा।

   – (अधिनियम की धारा 21)

7. **अध्यक्ष या सदस्य का त्यागपत्र** – अध्यक्ष यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा पद त्याग सकता है, जो अध्यक्ष की दशा में राज्य सरकार को और अन्य दशाओं में अध्यक्ष को सम्बोधित होगा और जिला पंचायत के मुख्य अधिकारी को दिया जायेगा।

– (अधिनियम की धारा 24)

8. **अध्यक्ष में अविश्वास प्रस्ताव** – जिला पंचायत के तत्समय सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे निर्वाचित सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरकृत होगा, किसी एक सदस्य द्वारा कलेक्टर को दिया जायेगा।

– (अधिनियम की धारा 28)

9. **अध्यक्ष का हटाया जाना** – यदि राज्य सरकार की राय में जब वह अध्यक्ष के स्थान पर कार्य करता हो, अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों या कृत्यों का जानबूझकर पालन नही करता अथवा अपने अधिकारों का दुरूपयोग करता है तो, उसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रीति से हटाया जा सकता है।

– (अधिनियम की धारा 29)

10. **जिला पंचायत के अधिकारी** –
    1. मुख्य अधिकारी
    2. अपर मुख्य अधिकारी
    3. वित्त अधिकारी
    4. कार्य अधिकारी
    5. अभियन्ता

– (अधिनियम की धारा 39)

11. **अधिकारों, कर्तव्यों तथा कृत्यों के प्रयोग तथा सम्पादन के सम्बन्ध में विवाद** – इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार का प्रयोग अथवा किसी कर्तव्य या कृत्य के सम्पादन के लिए ज़िला पंचायत अध्यक्ष, विभिन्न समितियों के मुख्य अधिकारी या कोई अन्य समिति अथवा अधिकारी उचित प्राधिकारी है अथवा नहीं, प्रकरण मुख्य अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को सन्दर्भित किया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

– (अधिनियम की धारा 97)

12. **जिलानिधि** – जिला पंचायत द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त की गयी सभी धनराशियों या राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान तथा जिला पंचायत की ओर से प्राप्त की गयी धनराशियां जिलानिधि में जमा की जायेंगी।

– (अधिनियम की धारा 99)

13. **निधि का उपयोग** – जिलानिधि में निहित समस्त सम्पत्ति उन व्यक्तियों या उपलक्षित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लायी जायेंगी, जिनके लिए इस अथवा अन्य किसी अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन यथास्थिति जिला पंचायत को अधिकार प्रदान किये गये हों।

– (अधिनियम की धारा 102)

14. **जिला पंचायत द्वारा संविदाएं** – जिला पंचायत को ऐसी संविदाएं करने का अधिकार होगा जो इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिए आवश्यक या ईष्टकर हो।

– (अधिनियम की धारा 117)

वर्तमान परिवेश में राज्य सरकार के निर्देशानुसार ई–टेन्डर प्रणाली के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, जिसमें जिला पंचायतों में पंजीकृत ठेकेदारों के साथ–साथ लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाईं विभाग के पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा प्रतिभाग किया जा सकता है।

15. **जिला पंचायत की बैठकें** – कार्यवाही संचालन नियमावली 1962 के अनुसार जिला पंचायत की बैठक प्रत्येक दो माह में आहूत की जानी चाहिए।

क. बैठक का दिनांक, समय और स्थान की सूचना मुख्य अधिकारी द्वारा प्रत्येक सदस्य को उसके अन्तिम ज्ञात पते पर निश्चित दिनांक से कम से कम दस दिन पूर्व प्रेषित की जानी चाहिए।

ख. बैठक एक से अधिक दिन तक हो सकती है।

ग. बैठने का क्रम अध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाएगा।

घ. किसी बैठक में ऐसा कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जायेगा, जो कि कार्य सूची में शामिल न किया गया हो।

ड. बैठक में ऐसा आवश्यक कार्य सम्पादित किया जा सकता है, यदि बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों के दो तिहाई सदस्य इसके लिए सहमत हों।

च. बैठक की कार्य सूची मुख्य अधिकारी एवं अध्यक्ष के सहयोग से तैयार की जायेगी।

छ. किसी कार्य के सम्पादन के लिए गणपूर्ति के निमित्त जिला पंचयात के तत्समय कुल सदस्यों की संख्या की एक तिहाई अपेक्षित होगी।

ज. ऐसे कार्य सम्पादन के लिए जिसे विशेष संकल्प द्वारा अपेक्षित हो, गणपूर्ति के निमित्त जिला पंचायत के तत्समय के कुल सदस्यों की आधी संख्या अपेक्षित होगी।

झ. यदि कोई बैठक गणपूर्ति के कारण स्थगित कर दी जाये तो, स्थगित बैठक के लिए किसी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

ञ. विशेष संकल्प – यथा पदों का सृजन, समितियों का चुनाव, बजट, कर सूची आदि।

शासनादेश संख्या–2350/33–3–2021–2257/2021 दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 द्वारा सदस्य, जिला पंचायत को बैठक भत्ता रू0 1500/– प्रति बैठक (वर्ष में 06 बैठक) अनुमन्य है।

जिला पंचायत अध्यक्ष के कर्तव्य एवं दायित्व

(अधिनियम तथा नियम के अनुसार)

जिला पंचायत, अध्यक्ष के कर्तव्य को हम सामान्यतः निम्नानुसार विभक्त कर सकते हैं–

1. **जिला पंचायत, अध्यक्ष के सामान्य दायित्व**

- जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के विधानानुसार जिला पंचायतों की बैठक बुलाना
- बैठक से संबंधित एजेण्डा बिन्दुओं का निर्धारण कराना।
- जिला पंचायत के वार्षिक बजट तैयार करवाना
- बजट के संबंध में जिला पंचायत की समितियों के प्रतिवेदन को जिला पंचायत के सामने रखना। जिला पंचायत सेवा नियमावली 1970 के अनुसार अनुभागीय मुख्य लिपिक, लिपिक, प्रथम श्रेणी लिपिक, द्वितीय श्रेणी लिपिक, आशुलिपिक, कम्प्यूटर आपरेटर, राजस्व निरीक्षक, ड्राफ्टमैन की नियुक्ति चयन समिति के माध्यम से की जाती है जिसका अध्यक्ष, अध्यक्ष जिला पंचायत होता है। चयन समिति में अपर मुख्य अधिकारी बोर्ड द्वारा नामित सदस्य अध्यक्ष जिला पंचायत इसकी अध्यक्षता करता है जहां जहां इस अधिनियम में मुख्य अधिकारी का उल्लेख किया गया है उसका तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी से है अपर मुख्य अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार अध्यक्ष में निहित होता है तथा बजट लेखा नियमावली के अनुसार अध्यक्ष, जिला पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान किये जाने पर चेक पर संयुक्त हस्ताक्षर करना होता है। जिला पंचायत के किसी भी कर्मचारी अधिकारी को छुट्टी स्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष में निहित है। अध्यक्ष को जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के तहत निम्नलिखित अधिकार प्रदान किये गये हैं–

1. **जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा अधिकारों का प्रयोग एवं सम्पादन–**

क. राज्य सरकार के विशिष्ट आदेश पर सृजित पद को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति लेना।

– (अधिनियम की धारा 39(2))

ख. मुख्य अधिकारी तथा अन्य विभागाध्यक्षों पर नियंत्रण रखना।

– (अधिनियम की धारा 51(1))

ग. समिति की कार्यवाहियों का प्रतिवेदन या उनसे उद्धरण या कोई विवरणी मांगना।

– (अधिनियम की धारा 93(1))

घ. क्षेत्र पंचायत के बजट को नियोजन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

– (अधिनियम की धारा 115(2))

ड. जिला पंचायत के उन सेवकों की, जिनकी धारा 43 के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी जिला पंचायत है, सेवा, छूट्टी, वेतन, भत्ते तथा अन्य विशेषाधिकार में उठने वाले प्रश्नों का इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तदर्थ किन्हीं विनियमों के अनुसार समाधान।

च. विवरण पत्र, लेखे, प्रतिवेदन तथा लेखों की प्रतिलिपियां अथवा किसी समिति द्वारा पारित संकल्पों की प्रतिलिपियां इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले अपेक्षित हो तथा धारा–57(1) के अधीन अध्यक्ष को प्रतिनिहित किये गये हों।

2. अध्यक्ष के कर्तव्य

क. जिला पंचायत तथा उन समितियों को जो नियत की जायें, की सभी बैठकों को बुलाना एवं अध्यक्षता करना।

ख. जिला पंचायतों की सभी बैठकों के कार्य सम्पादन को तदर्थ बनाये गये किसी विनियम के अनुसार नियंत्रित करना।

ग. जिला पंचायत के वित्तीय प्रशासन पर दृष्टि रखें तथा कार्यपालक प्रशासन का अधीक्षण करें तथा इसमें कोई त्रुटि हो तो उसकी ओर जिला पंचायत का ध्यान आकृष्ट करें।

घ. इस अधिनियम के तद्अन्तर्गत आने वाले नियमों तथा अन्य प्रचलित विधियों के अन्तर्गत अपेक्षित कर्तव्यों का पालन करना।

ड. उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत रूपया 5.00 लाख से अधिक 10.00 लाख तक के कार्यों के प्राविधिक स्वीकृति देना।

च. उ0 प्र0 जिला पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 की धारा–62 मे प्रदत्त अधिकार द्वारा जिलानिधि से धन आहरण हेतु चेक पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करना।

छ. जिला पंचायत द्वारा जिला पंचायत का बजट तैयार कराना एवं पारित कराना।

ज. जिला पंचायत विकास योजना (डी0पी0डी0पी0) को तैयार कराना एवं पारित कराना।

अध्यक्ष, जिला पंचायत का अविश्वास प्रस्ताव/हटाया जाना। (धारा–28, 29)

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा–28 अध्यक्ष जिला पंचायत के अविश्वास प्रस्ताव एवं धारा 29 अध्यक्ष, जिला पंचायत को हटाये जाने से संबंधित है।

अध्यक्ष, जिला पंचायत का अविश्वास प्रस्ताव (धारा–28)

1. धारा 28 (1) के अनुसार जिला पंचायत के अध्यक्ष में अविश्वास का प्रस्ताव धारा 28(2) और 28(3) में निर्धारित प्रकिया के अनुसार किया जा सकता है तथा उसपर कार्यवाही की जा सकती है।
2. धारा 28 (2) के तहत प्रस्ताव करने के अभिप्राय का निर्धारित प्रारूप पर लिखित नोटिस जिला पंचायत के तत्समय निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा। प्रस्तावक सदस्यों में से किसी एक के द्वारा व्यक्तिगत रूप से अविश्वास प्रस्ताव की प्रति कलेक्टर को दी जाएगी।
3. (1) उसके बाद कलेक्टर जिला पंचायत के कार्यालय में अपने द्वारा निर्धारित तिथि पर बैठक बुलाएगे यह तिथि उपधारा 28 (1) के अधीन उसे नोटिस दिये जाने के दिनांक से 30 दिन के बाद की नहीं होगी।

   (2)कलेक्टर द्वारा जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ऐसी बैठक के लिए कम से कम 15 दिन का नोटिस निर्धरित रीति से दिया जायेगा।
4. ऐसी बैठक की व्यवस्था कलेक्टर द्वारा जिले के न्यायाधीश की अध्यक्षता में ऐसी बैठक की व्यवस्था की जायेगी परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि जिला न्यायाधीश अध्यक्षता करने के बजाय अपने अधीनस्थ किसी दीवानी न्यायाधिकारी (सिविल जुडिशियल आफिसर) को, जो दीवानी न्यायाधीश (सिविल जज) से निम्न श्रेणी का न हो ऐसी बैठक का अध्यक्षता करने का आदेश दे सकता है।

   4–(क)यदि बैठक के लिए निश्चित समय से आधे घण्टे के भीतर, उपधारा 4 के अनुसार उल्लिखित अधिकारी अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित न हो तो बैठक उस दिनांक और समय तक के लिए स्थगित हो जायेगी जिसे वह अधिकारी 4 (ख) के अधीन निश्चित करेगा।

   4–(ख) के अनुसार वर्णित है कि यदि उपधारा 4 में उल्लिखित अधिकारी बैठक करने में असमर्थ हो तो वह तत्संबंधी अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् उसे किसी अन्य दिनांक और समय के लिए स्थगित कर सकता है जिसे वह निश्चित करे, किन्तु यह दिनांक उपधारा 3 के अधीन बैठक के निश्चित दिनांक से 25 दिन से अधिक नहीं होगा। वह कलेक्टर को लिखित रूप में बैठक के स्थगन की सूचना अविलम्ब देगा। कलेक्टर निर्वाचित सदस्यों की बैठक की सूचना उपधारा के अधीन नियत रीति से कम से कम 10 दिन पहले देगा।
5. उपधारा 4 (क) तथा 4 (ख) में की गयी व्यवस्था को छोड़कर इस धारा के अधीन किसी प्रस्ताव के विचार करने के लिए बुलायी गयी बैठक स्थगित नहीं की जायेगी।
6. इस धारा के अधीन बुलायी गयी बैठक के प्रारम्भ होते ही पीठासीन अधिकारी जिला पंचायत को वह प्रस्ताव पढ़कर सुनाएगा जिस पर विचार करने के लिए बुलायी गयी हो और यह घोषित करेगा कि उस प्रस्ताव पर वाद विवाद किया जा सकता है।
7. इस धारा के अधीन प्रस्ताव पर वाद विवाद स्थगित नहीं किया जायेगा।
8. यदि ऐसा वाद विवाद, बैठक आरम्भ होने के लिए निश्चित समय से दो घण्टे बीतने के पहले भी समाप्त न हो गया हो तो दो घण्टे बीतते ही स्वतः समाप्त हो जायेगा। वाद विवाद के समाप्ति पर अथवा उक्त दो घण्टे के समाप्ति पर, जो भी पहले हो, वह प्रस्ताव गुप्त मतदान के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।
9. पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव के गुण–दोषों पर नहीं बोलेगा और न वह उस पर मत देने का अधिकारी होगा।

10. पीठासीन अधिकारी, बैठक समाप्त होने के पश्चात् तुरन्त बैठक की कार्यवृत्त की एक प्रति तथा साथ में प्रस्ताव की एक प्रति और उस पर हुए मतदान का परिणाम राज्य सरकार को तथा कलेक्टर को भेजेगा।

11. यदि प्रस्ताव जिला पंचायत के तत्कालीन निर्वाचित सदस्यों के कुल संख्या के आधे से अधिक के समर्थन से पारित हो तो –

11–(क) पीठासीन अधिकारी उक्त तथ्य का प्रकाशन, उनका नोटिस जिला पंचायत के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तुरन्त चिपकवा कर तथा गजट में उसे विज्ञापित भी करायेगा।

(ख) जिला पंचायत के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर बैठक के निर्णय को चस्पा करने के दिनांक के अगले ही दिन जिला पंचायत अध्यक्ष अपने पद पर नहीं रहेगा और उसे रिक्त कर देगा।

12. यदि प्रस्ताव पूर्वोक्त रूप से पारित न हुआ हो, अथवा यदि गणपूर्ति न होने के कारण बैठक न हो सकी हो, तो जब तक कि उक्त बैठक के दिनांक से एक वर्ष व्यतीत न हो जाये तब तक अध्यक्ष में अविश्वास व्यक्त करने वाले किसी अनुवर्ति प्रस्ताव का नोटिस ग्रहण नहीं किया जायेगा।

13. इस धारा के अधीन किसी प्रस्ताव का नोटिस अध्यक्ष के पद ग्रहण करने के वर्ष के भीतर ग्रहण नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष को हटाया जाना धारा–29

1. जिला पंचायत अध्यक्ष को निम्नानुसार अधिनियम के धारा 29 के अन्तर्गत अपने पद से हटाया भी जा सकता है।

2. यदि राज्य सरकार के राय में अध्यक्ष अधिनियम के अधीन, अपने कर्तव्यों या कृत्यों का जानबूझकर पालन नहीं करता या पालन करने से इनकार करता है या अपने में निहित अधिकारों का दुरूपयोग करता है या अपने कर्तव्यों का पालन में अनाचार का दोषी पाया जाता है या शारीरिक या मानसिक रूप से अपने कर्तव्यें का पालन करने में असमर्थ हो जाये तो राज्य सरकार, यथा स्थिति, अध्यक्ष का स्पष्टीकरण समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् उसको आदेश द्वारा अपने पद से हटा सकती है एवं ऐसा आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी। इस प्रक्रिया में यह प्रतिबन्ध है कि नियत प्राधिकारी द्वारा प्रथम दृष्टया यह पाया जाये कि किसी अध्यक्ष ने वित्तीय या अन्य अनियमितताएं की है तो ऐसा अध्यक्ष अन्तिम जाँच में आरोपो से मुक्त होने तक वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और सम्पादन नही करेगा। ऐसी स्थिति में उक्त शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और सम्पादन राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त जिला पंचायत के तीन निर्वाचित सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जायेगा।

3. इस धारा के अधीन अपने पद से हटाये जाने के दिनांक से तीन वर्ष तक अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा।

जिला पंचायत की समितियाँ– त्रिस्तरीय पंचायतों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से शासनादेश सं0–4077(1)/33–2–99–48–जी/99 दिनांक 29 जुलाई, 1999 द्वारा जिला पंचायतों में 6 समितियाँ हैं, जो निम्नवत् हैं–

क्र.सं.	समिति का नाम	समिति के कार्य
1	नियोजन एवं विकास समिति	जिला पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार करना, कृषि पशुधन और गरीबी उपशमन से सम्बन्धित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।
2	शिक्षा समिति	प्रारम्भिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ साक्षरता से सम्बन्धित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।
3	निर्माण कार्य समिति	सभी प्रकार के निर्माण और अनुरक्षण कार्य को कराना और उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
4	स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति	चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन और समाज कल्याण से सम्बन्धित कार्यक्रमों विशेष रूप से महिला एवं बाल कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं का कार्यान्वयन।
5	प्रशासनिक समिति	जिला पंचायत के कर्मचारियों के अधिष्ठान से सम्बन्धित सभी मामलें।
6	जल प्रबन्धन समिति	नलकूपों और पेय जल योजनाओं का समुचित संचालन और अनुरक्षण।

जिला पंचायत सदस्य की भूमिका

- जिला पंचायत की बैठकों में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करना।
- जिला पंचायत की समितियों को सुदृढ़ बनाने में सहयोग प्रदान करना।

2

केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग

''एक बुद्धिमान व्यक्ति को पैसा दिमाग में रखना चाहिये, दिल में नहीं।''

–जोनाथन स्विफ्ट

केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोग

73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायतों में केन्द्र एवं राज्य सरकार की शुद्ध आय का कुछ प्रतिशत ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों में हस्तान्तरित (डेवेल्यूशन) किये जाने की संस्तुति की गयी है, जिसके क्रम में केन्द्रीय वित्त आयोग (पूर्व से गठित) तथा प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन करते हुए हर पांच वर्ष पर आयोग द्वारा की गयी संस्तुतियों अनुसार पंचायतों को अनुदान धनराशि (ग्रान्ट) हस्तान्तरित की जाती है। वर्तमान में 15वां केन्द्रीय वित्त आयोग एवं प्रदेश में पंचम राज्य वित्त आयोग प्रचलित है।

केन्द्रीय वित्त आयोगः

15वाँ वित्त आयोगः— 15वें वित्त आयोग में ग्राम पंचायतों के साथ जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत को भी धनराशि दिये जाने की व्यवस्था दी गई है। वित्तीय वर्ष 2020—21 में 15वें वित्त आयोग की अन्तरिम संस्तुति के आधार पर पंचायतों को आवंटित की जाने वाली धनराशि हेतु 50 प्रतिशत टाइड ग्राण्ट एवं 50 प्रतिशत अनटाइड ग्राण्ट के रुप में अवमुक्त एवं व्यय किये जाने का प्राविधान किया गया था। 15वें वित्त आयोग की अन्तिम संस्तुतियों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021—2026 पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के गाइडलाइन दिनांक—14.07.2021 के द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों को धनराशि आवंटित करते हुए उसके व्यय के सम्बन्ध में दिशा—निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या—1717/33—3—2021—33/2020, दिनांक—07.10.2021 के द्वारा धनराशि हस्तान्तरण व व्यय हेतु मार्ग—निर्देश जारी किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021—26 हेतु निम्न प्राविधान किया गया हैः—

- 15वें वित्त आयोग के संस्तुत रिपोर्ट में 40 प्रतिशत बेसिक (अनटाइड) ग्राण्ट ग्रामीण निकायों को 11वीं सूची के सूचीबद्ध 29 विषयों की आवश्यकताओं पर व्यय करने के निर्देश दिये गये है। उक्त धनराशि से वेतन एवं स्थापना व्यय को प्रतिबन्धित किया गया है।
- संस्तुत रिपोर्ट में 60 प्रतिशत टाइड ग्राण्ट पेयजल एवं सैनीटेशन के इम्प्रूवमेन्ट हेतु प्राविधानित किया गया है, जिसमें 30 प्रतिशत पेयजल, वर्षा जल संचयन एवं वाटर रिसाइक्लिंग तथा 30 ओ0डी0एफ0 स्टेट्स को मेन्टेनेन्स एवं सेनीटेशन हेतु उपभोग किया जाना।
- पंचायतों को पूर्ववर्ती वर्ष में आवंटित ग्राण्ट को पब्लिक डोमेन पर आनलाइन ऑडिट प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है, जिसके आधार पर ही आगामी वित्तीय वर्षों में ग्राण्ट सम्बन्धित निकाय को दिया जायेगा।

केन्द्रीय वित्त—15वाँ वित्त आयोग की धनराशि का वितरणः—

- जनपदवार विभाजन 90 प्रतिशत कुल जनसंख्या (2011) तथा 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर वितरण।
- जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के मध्य 15:15:70 के अनुपात में वितरित किया जाना।
- ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों का बंटवारा कुल जनसंख्या का 90 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या का 10 प्रतिशत भार किये जाने की व्यवस्था है।

15वें वित्त आयोग के प्राविधानित कार्य

टाइड फण्ड (60 प्रतिशत):–	अनटाइड फण्ड (40 प्रतिशत):–
• खुले में शौच मुक्त (ओ0डी0एफ0) स्थिति की स्वच्छता और रख–रखाव। • पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुर्नचक्रण की आपूर्ति। • सामुदायिक शौचालय का निर्माण व रख–रखाव की व्यवस्था। • दूषित जल प्रबन्धन, सीवर प्रणाली का विकास तथा रख–रखाव। • सीवेज व सेप्टेज मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट की व्यवस्था– • सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट–सामुदायिक कम्पोस्ट पिट का निर्माण व रख–रखाव आदि। • पाईप पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना इसका रखा–रखाव। • वर्षा जल का संचयन। ट्रीट जल का Recycle एवं Reuse। • आउटसोर्सिंग के आधार पर जनशक्ति (मैन पावर) एवं आवश्यक अन्य प्रशासनिक व्यय (10 प्रतिशत की सीमा के अन्दर)।	स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियां सम्बन्धित विभागों के परामर्श से, बच्चों का टीकाकरण, बच्चों के कुपोषण की रोकथाम, ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण और मरम्मत; ग्राम पंचायत के क्षेत्रान्तर्गत सड़कों, पैदल पथों का निर्माण व मरम्मत एवं रख–रखाव; एलईडी स्ट्रीट लाइट एवं सोलर लाइटिंग का निर्माण, मरम्मत एवं रख–रखाव, भूमि का अधिग्रहण और अन्त्येष्टि स्थलों व श्मशान स्थलों का निर्माण, मरम्मत तथा रख–रखाव; ग्राम पंचायत के अन्दर पर्याप्त एवं उच्च बैंडविड्थ वाई–फाई डिजिटल नेटवर्क सेवाएं प्रदान करना; सार्वजनिक पुस्तकालय; बच्चों के पार्क; खेल का मैदान; ग्रामीण हाट; खेल और शारीरिक फिटनेस उपकरण आदि सहित मनोरंजन सुविधाएं; तथा राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य कोई अन्य बुनियादी सुधार/उन्नत सेवायें; विद्युत अन्तर्गत आवर्ती व्यय; आउटसोर्सिंग के आधार पर जनशक्ति (मैन पावर) एवं आवश्यक अन्य प्रशासनिक व्यय (10 प्रतिशत की सीमा के अन्दर); प्राकृतिक आपदा/महामारी की स्थिति में तत्काल राहत कार्य; विभिन्न अधिनियमों/कानूनों के तहत पंचायतों को विशेष रूप से अधिदेशित जिम्मेदारियों का निर्वहन।

अनुदान के अन्तर्गत निम्नांकित मदो पर व्यय किये जाने की अनुमति नही है:– अन्य योजनाओं के अन्तर्गत पूर्व निर्धारित वित्त पोषित मदों पर व्यय, अभिनंदन/सांस्कृतिक समारोह/सजावट/उद्घाटन, निर्वाचित प्रतिनिधियों का मानदेय, टीए/डीए और मौजूदा कर्मचारियों/स्थायी कर्मचारियों के वेतन/मानदेय और इस घटक के तहत अनुबंध, डोल/पुरस्कार, मनोरंजन, वाहनों व एयर–कंडीशनर का क्रय।

15वें वित्त आयोग अन्तर्गत वर्ष 2020–26 तक प्राविधानित धनराशि

वर्ष	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25	2025–26
धनराशि	9752.00	7208.00	7466.00	7547.00	7994.00	7797.00

- राज्य स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायतों हेतु भारत सरकार द्वारा आवंटित धनराशि पी0एफ0एम0एस0 व कोषागार के माध्यम से सीधे उनके खाते में निर्धारित समयावधि के अन्दर हस्तान्तरण की कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है।
- पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा 15वें वित्त आयोग की धनराशि की कार्ययोजना, क्रियान्वयन, भुगतान आदि की कार्यवाही पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के इन्टीग्रेटेड सॉफ्टवेयर (https://egramswaraj.gov.in) पर किया जाना प्राविधानित है।
- भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों को ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया गया है। ऑडिट विभाग द्वारा ऑनलाइन ऑडिट हेतु प्रेषित इन्टीमेशन लेटर के सापेक्ष ऑब्जरवेशन रिकार्ड करते हुए ऑडिट किया जाता है।

राज्य वित्त आयोग

संविधान के अनुच्छेद 243 (आई) एवं 243 (वाई) के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति के सुधार हेतु राज्य के कुल कर एवं कर्यतर राजस्व में से स्थानीय निकायों के हिस्सेदारी नियत करने हेतु प्रत्येक पांच वर्ष पर एक राज्य वित्त आयोग के एक गठन की व्यवस्था की गई।

संविधान के उक्त प्रावधानों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग गठित करते हुए आयोग की संस्तुतियां लागू करने का निर्णय लिया गया। राज्य वित्त आयोग के संस्तुतियों के आधार पर जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में शासनादेश–38/2020/1751/33–3–2020– 38/2020, दिनांक–18.08.2020 के द्वारा मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किये गये है।

पंचायतीराज संस्थाओं का अंश एवं धन वितरण का फार्मूलाः–

1. पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं हेतु अवमुक्त धनराशि का जनपदवार विभाजन 90 प्रतिशत जनसंख्या (2011) तथा 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है।
2. राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्रामीण निकायों को अन्तरित की जाने वाली धनराशि का बटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के मध्य 15:15:70 के अनुपात में किया जाता है।

2– संक्रमित की जाने वाली धनराशि के व्यय के मार्गदर्शक सिद्धान्तः–

पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निम्न कार्य करा सकती हैः–

1– शासकीय भवनों का रख–रखाव 2– स्ट्रीट लाईट 3– खुले में शौच से मुक्ति(ओ0डी0एफ0) 4–शासकीय भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों के विद्युत देयकों का भुगतान 5– पंचायत की सड़कों का निर्माण एवं रख–रखाव 6–पेयजल योजनाओं का निर्माण एवं रख–रखाव 7– ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन 8–सामुदायिक शौचालय/जनसुविधाएं 9–अन्त्येष्टि स्थल की वाउण्ड्री 10–ग्रामीण शासकीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास

- इसके अतिरिक्त शासनादेश–1196/33–3–2019–एल0सी0/2017, दिनांक–24.05.2020 के द्वारा छुट्टा/निराश्रित पशुओं हेतु निर्मित कराये जा रहे गोशालाओं में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से पेयजल (हैण्डपम्प) एवं प्रकाश व्यवस्था कराने के निर्देश दिये गये है।

- शासनादेश संख्या–1076/33–1–2020–3003/2017, दिनांक–02.06.2020 के द्वारा पंचायतों में स्थापित एवं संचालित गो–संरक्षण केन्द्रों हेतु इच्छुक कृषकों के खेतों पर अनुप्रयोजित फसल अवशेष को काट कर भूसे में परिवर्तित किये जाने हेतु मशीनरी एवं मानव श्रम पर व्यय, गो–संरक्षण केन्द्र की आवश्यकता के अनुसार भूसे को भण्डार गृह तक ले जाने के लिए परिवहन लागत एवं उसमें निहित मानव श्रम पर व्यय, भूसा संग्रह हेतु निर्मित किये जाने वाले परम्परागत भूसे के कूप या खोप या भक्कू या बुर्जी आदि, को बनाने में लगने वाली सामग्री यथा बांस/पुआव/रस्सी आदि पर आने वाला व्यय एवं उसको बनाने हेतु भवन श्रम पर आने वाला व्यय, गो–संरक्षण केन्द्रों पर संरक्षित पशुओं की संख्या को देखते हुए आवश्यकतानुसार नियोजित किये जाने वाले गो–सेवक श्रमिकों को पारिश्रमिक का भुगतान के कार्यो पर राज्य वित्त आयोग की धनराशि के व्यय की अनुमन्यता की गई है।

- शासनादेश संख्या–1075/33–1–2020–3003/2017, दिनांक–02.06.2020 के द्वारा राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत **ग्रामीण अन्चल में निवासरत किसी परिवार को आर्थिक कठिनाई की वजह से उत्पन्न विपन्नता में भुखमरी का शिकार न हो इसलिए ऐसे परिवार को एक बारीय ग्राम पंचायत तत्काल 1000 रु0 की आर्थिक सहायता,** ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत परिवार के गरीबी की दशा में कतिपय परिस्थितियों में अपने बीमारी कराने में सक्षम नही होते है तो उन्हें तत्काल इलाज के लिए 2000 रु0, की धनराशि तथा आर्थिक रुप से असक्षम परिवार में मृतक व्यक्ति के अन्त्येष्टि हेतु रु0 5000 व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3– त्रिस्तरीय पंचायतों में पंचम राज्य वित्त आयोग का भुगतान व अन्य कार्यवाही:–

क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की कार्ययोजना तैयार कर ग्राम सभा/क्षेत्र सभा/जिला सभा की बैठक में अनुमोदनोपरान्त ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। सम्बन्धित पंचायतों द्वारा समस्त भुगतान ई–ग्राम स्वराज के माध्यम से किये जाने के निर्देश दिये गये है।

4– कार्य की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति:–

(1) **ग्राम पंचायत:**

क्र0 सं0	कार्यों की सीमा (धनराशि)	प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति हेतु प्राविधानित स्तर/अधिकारी	तकनीकी स्वीकृति हेतु प्राविधानित स्तर/अधिकारी
1	रु 5 लाख तक	ग्राम सभा	ग्राम सभा
2	रु 5,00,001 से 7,50000/–	सहायक विकास अधिकारी (पं0)	खण्ड स्तर पर नामित तकनीकी कार्मिक
3	रु 7,50001/– से 10 लाख तक	जिला पंचायत राज अधिकारी	अभियन्ता जिला पंचायत
4	10,00,001 से उपर	जिलाधिकारी	अभियन्ता जिला पंचायत

(2) क्षेत्र पंचायतों द्वारा कार्यों का अनुमोदन **उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984** के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाता ळें

5– पंचायतों को संक्रमित धनराशि के दुरुपयोग होने पर सम्बन्धित पंचायत के अध्यक्ष/प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही ग्राम प्रधान के सम्बन्ध में संयुक्त प्रान्त पंचायतीराज अधिनियम, 1947 में प्राविधानित व्यवस्था एवं उ0प्र0 पंचायत राज (प्रधानों, उप प्रधानों और सदस्यों को हटाया जाना) जांच नियमावली, 1997 के अनुसार तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव जो कि शासकीय कर्मी है, के विरुद्ध सुसंगत सेवा नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत किये जाने का प्रावधान है।

5– जिला पंचायत:–

जिला पंचायतें पंचम राज्य वित्त संस्तुतियों के अन्तर्गत अंतरित धनराशि अपने कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन आदि पर खर्च कर सकती हैं। केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग के सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन बकाये के लिए जिला पंचायतों के लिए अंतरित धनराशि का 01 प्रतिशत इस हेतु गठित पराक्रमी निधि में दिया जाता है। जिला पंचायतें संक्रमित धनराशि का न्यूनतम 5 प्रतिशत धनराशि अपनी सम्पत्तियों के रखरखाव एवं सृजन पर व्यय करती हैं। नवसृजित जिला पंचायतें जहां पर कार्यालय भवन उपलब्ध नही है शासन की स्वीकृति के उपरान्त कार्यालय भवन निर्मित करने हेतु आवश्यक धनराशि का व्यय कर सकती हैं।

6– पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान हेतु धनराशि का निर्धारण:–

पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण अध्ययन, भ्रमण, शोध तथा प्रशिक्षण संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक आवर्ती व्यय के लिए ग्रामीण निकायों हेतु प्रतिवर्ष संक्रमित की जाने वाली धनराशि में से राज्य स्तर पर पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान हेतु 0.15 प्रतिशत धनराशि मात्राकृत किये जाने का प्रावधान किया गया है।

7– पंचायत कल्याण कोषः–

शासनादेश संख्या–2350 / 33–3–2021–2257 / 2021, दिनांक–16.12.2021 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पद पर बने रहते हुए मृत्यु की दशा में उनके परिवार को आर्थिक सहायता हेतु राज्य वित्त आयोग धनराशि से 50 करोड़ का पंचायत कल्याण कोष स्थापित किया गया है। जिसमें ग्राम प्रधान, क्षेत्र प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष हेतु 10 लाख, सदस्य जिला पंचायत हेतु 5 लाख, सदस्य क्षेत्र पंचायत 3 लाख व सदस्य ग्राम पंचायत हेतु 2 लाख दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

8– त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों को सम्पन्न एवं सुविधायेंः–

इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1113 / 33–2–2006–34जी0 / 01टी0सी0–11, दिनांक–20.03.2006 एवं शासनादेश संख्या–6368 / 33–2–2006–34 जी0 / 2001 टी0सी0–11, दिनांक–26.12.2006 तथा शासनादेश संख्या–02 / 33–2–2014–34जी0 / 01 टी0सी0–11, दिनांक–07.01.2014 एवं शासनादेश दिनांक–22.11.2016, शासनादेश संख्या–2350 / 33–3– 2021–2257 / 2021, दिनांक–16.12.2021 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

जिला पंचायत सदस्य की भूमिका

अपने क्षेत्रान्तर्गत पंचायतों से संबंधित ऐसे कार्य जो जिला पंचायत विकास योजना में शामिल किये गये है, को वित्त आयोग के संस्तुतियों के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से पूर्ण कराने में सहयोग सुनिश्चित करना।

३

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा०)

''स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है।''

''महात्मा गाँधी''

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0)

उल्लेखनीय उपलब्धियां–स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0)–प्रथम चरण

- 2.18 करोड़ शौचालय का निर्माण
- वित्तीय वर्ष 2017–18:
- स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण–सिटीजन फीडबैक श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान।
- राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता कार्यक्रम हेतु आयोजित हुये स्कॉच अवार्ड प्रतियोगिता में रजत पदक।
- नेशनल रुरल सैनिटेशन सर्वे में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर राज्य को 735 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवन्टन प्राप्त हुआ।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20: स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण–सिटीजन फीडबैक श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान।
- वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक अनवरतः स्वच्छ शौचालय निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान।
- वित्तीय वर्ष 2020–21:
- गरीब कल्याण योजनान्तर्गत सामुदायिक स्वच्छता श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान।
- स्वच्छ सुन्दर सामुदायिक शौचालय में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान।
- गन्दगी मुक्त भारत में प्रथम स्थान।
- गरीब कल्याण योजनान्तर्गत प्रदेश के जनपद प्रयागराज, हरदोई एवं फतेहपुर को निर्धारित अवधि में सर्वाधिक सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

प्रथम चरण में पंचायत के मा0 जन प्रतिनिधियों का अतुलनीय योगदान

- मांग सृजन
- समुदाय का व्यवहार परिवर्तन
- सामुदायिक भागीदारी
- शौचालय निर्माण व गुणवत्ता सुनिश्चित करना
- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

स्वच्छता के प्रभाव

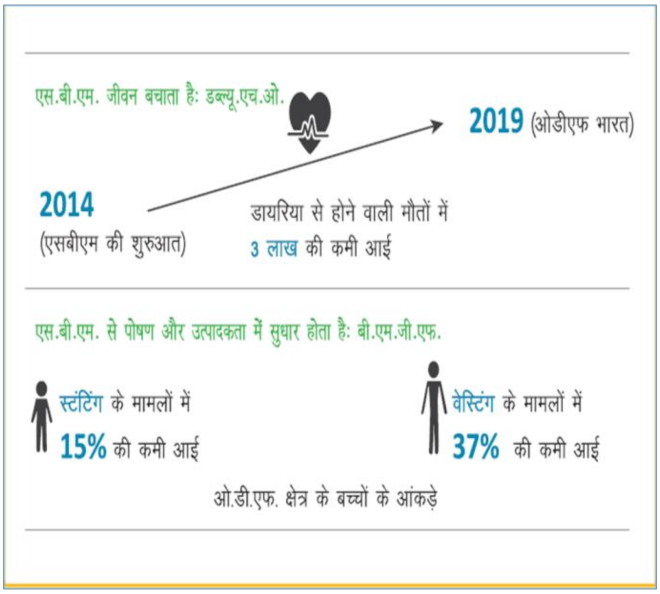

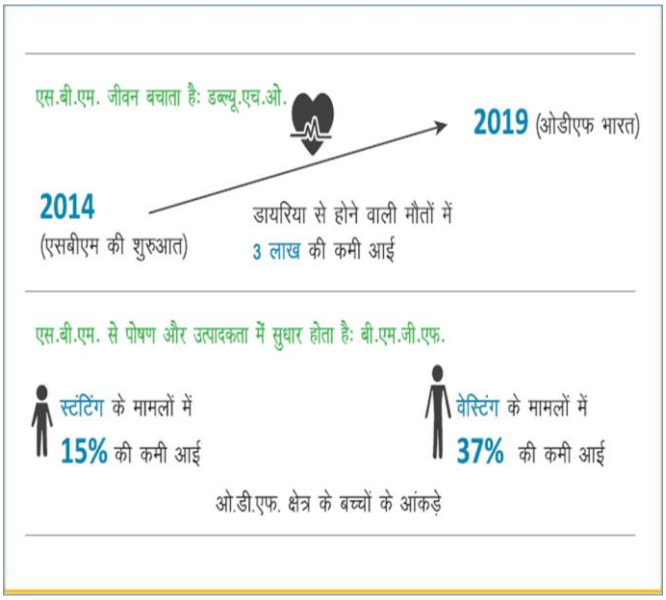

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण 20–2021 से 24–2025

मुख्य उद्देश्य

- ग्रामों के ओ0डी0एफ0 की स्थिति को बनाए रखना।
- ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता के स्तर में सुधार करना।
- ग्रामों को ओ0डी0एफ0 प्लस का स्तर प्राप्त करना।
- खुले में शौच मुक्त (ओ0डी0एफ0) ग्राम के स्थायित्व को बनाए रखते हुए ओ0डी0एफ0 प्लस अभियान में जन समुदाय को जोड़ना।
- पर्यावरणीय स्वच्छता को बेहतर एवं स्थायी बनाना

अवधि 2020–21 से 2024–25 तक

वित्तीय व्यवस्था– केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के वित्तपोषण और विभिन्न योजनाओं के बीच कन्वर्जेन्स।

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) द्वितीय चरण– मुख्य घटक

- व्यवहार परिवर्तन एवं सामुदायिक अभिप्रेरण
- व्यक्तिगत शौचालय निर्माण
- शौचालय मरम्मत/रेट्रोफिटिंग
- सामुदायिक स्वच्छता परिसर
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management)
- तरल अपशिष्ट प्रबंधन (Liquid Waste Management)
- मलीय कीचड़ प्रबंधन (Fecal Waste Management)
- मासिक धर्म अपशिष्ट प्रबंधन (Menstrual Waste Management)

प्रस्तावित मुख्य गतिविधियां

1. प्रत्येक परिवार के पास शौचालय की उपलब्धता/सुलभता

- ✓ नये पात्र परिवारों में शौचालय निर्माण अथवा सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग
- ✓ सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण एवं शासनादेश 15 जुलाई के अनुरुप अनुरक्षण
- ✓ अक्रियाशील व्यक्तिगत शौचालयों को क्रियाशील शौचालय में परिवर्तन
- ✓ पूर्व निर्मित शौचालयों मे सुरक्षित तकनीक के अनुरूप इन्हे प्रयोग योग्य बनाया जाना (रेट्रोफिटिंग)
- ✓ ग्राम पंचायत के प्रत्येक सदस्य द्वारा शौचालय का प्रयोग सुनिश्चित करना

2. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन

- ✓ ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन–पिट कम्पोस्टिंग,बिन कम्पोस्टिंग, नाडेप, हीप कम्पोस्टिंग, विंड्रो कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग एवं बायोगैस इकाई इत्यादि।
- ✓ तरल अपशिष्ट प्रबन्धन–सोख्ता गड्ढा, लीच पिट, किचेन गार्डेन, डबलूएसपी तकनीकि, डकविड तकनीकि इत्यादि।
- ✓ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन–प्रयोग पर प्रतिबन्ध, संग्रहण, मार्केट लिंकेज, रिसाइकिंलिंग तथा लैंड फिलिंग
- ✓ गोबर धन सम्बन्धित गतिविधियां
- ✓ मलीय कचरा प्रबन्धन– लीच पिट सफाई/रियूज एवं सेफि्टक टैंक/काला पानी प्रबन्धन
- ✓ मासिक धर्म अपशिष्ट प्रबन्धन– इन्सनीरेटर आदि का निर्माण

वित्तीय प्राविधान – स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0) द्वितीय चरण

- ➢ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन

5000 की जनसंख्या तकः

- ✓ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रू0 60/– प्रति व्यक्ति तक
- ✓ ग्रे वॉटर प्रबंधन रू0 280/– प्रति व्यक्ति तक

5000 से अधिक जनसंख्या तकः

- ✓ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रू0 45/– प्रति व्यक्ति तक
- ✓ ग्रे वॉटर प्रबंधन रू0 660/– प्रति व्यक्ति तक

- ✓ प्रत्येक गांव अपने ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के लिये अपनी आवश्यकताओं के आधार पर न्यूनतम् 100000 रु0 तक व्यय कर सकता है।
- ✓ गांव में ठोस अपशिष्ट के लिये मात्राकृत धनराशि में से बचत की स्थिति में आवश्यकतानुसार तरल अपशिष्ट के लिये एवं तरल अपशिष्ट के लिये मात्राकृत धनराशि में से बचत की स्थिति में आवश्यकतानुसार ठोस अपशिष्ट के लिये किया जा सकेगा।
- ➢ प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई (प्रत्येक विकास खण्ड में एक)–प्राविधानित धनराशि –प्रति इकाई रू0 16 लाख तक

- मल गाद प्रबंधन/फिकल स्लज मैनेजमेन्ट **(FSM)** –प्राविधानित धनराशि – रू0 230/– प्रति व्यक्ति तक
- गोबर–धन **(GOBAR-Dhan)** प्राविधानित धनराशि – प्रति जनपद रू0 50 लाख तक
- शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन धनराशि – रू0 12000/– (पूर्ववर्ती प्राविधान)

वित्तीय प्राविधान 15वां/पंचम वित्त आयोग

- 40 प्रतिशत बेसिक ग्रांट (अनटाइड) जो कि ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों (वेतन एवं स्थापना के अतिरिक्त)
- 60 प्रतिशत बद्ध अनुदान (टाइड) ग्रान्ट जो कि जल एवं स्वच्छता सहित आदि राष्ट्रीय प्राथमिकता के क्षेत्रों में किया जायेगा।
- निर्धारित 60 प्रतिशत टाइड ग्रान्ट 70:15:15 प्रतिशत के अनुपात में ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के लिये अनुमन्य।

पंचम वित्त आयोग अन्तर्गत आवन्टित होने वाली धनराशि से निर्धारित व्यवस्था

- ओडीएफ स्थायित्व से सम्बधित गतिविधियां
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन
- समुदायिक शौचालय/जन सुविधायें

सफल अपशिष्ट प्रबन्धन के सिद्धान्त

- अपशिष्ट उत्सर्जन से सम्बन्धित व्यक्ति ही प्रबन्धन के लिये उत्तरदायी।
- अपशिष्ट पृथक्करण व वर्गीकरण समुचित प्रबन्धन की कुंजी है।
- अपशिष्ट प्रबन्धन मुख्यतः व्यक्तिगत/सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन का कार्यक्रम है।
- अपशिष्ट उत्सर्जन वाले स्थान के निकट प्रबन्धन की व्यवस्था उपयोगी होती है।
- सामूहिक उत्तरदायित्व ही अपशिष्ट प्रबन्धन की सफलता का मूल मंत्र है।
- तकनीकी विकल्पों का तुरन्त या लम्बे अंतराल पर एवं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होना चाहिए।
- तकनीकी विकल्प समुदाय/परिवार की सामाजिक–आर्थिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए।
- तकनीकी विकल्प समुदाय के द्वारा वहन करने योग्य होना चाहिये तथा समुदाय अपनी निपुणता और
- वित्तीय संसाधनों के अनुसार तकनीकी विकल्पो में थोड़ा संशोधन कर निर्माण, संचालन और रखरखाव करना।

दृष्टिगोचर स्वच्छता

- मुख्य मार्गों, एवं बाजार के क्षेत्रों में कम से कम एक बार दैनिक सफाई
- मुख्य मार्गों, व्यवसायिक/बाजार के क्षेत्रों में नियत स्थान पर कुड़ेदान/डम्पस्टर रखना एवं इसकी नियमित सफाई करना।

- बाजार में दुकानदारों व ठेले, खोमचे वालों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना दुकान, ठेले आदि पर उत्पन्न हो रहे कुड़े को बोरी या डस्टबिन में डालकर समुचित स्थान/डम्पस्टर पर पहुंचाना।
- शनिवार व रविवार को ग्राम पंचायत में विशेष स्वच्छता/सैनिटाइजेशन कार्यक्रम आयोजित कराना
- अन्य गतिविधियां जो ग्राम पंचायत को स्वच्छता के साथ–साथ आकर्षक बनाने में सहायक हो का संचालित करना।

ओडीएफ प्लस मानक

- ओ0डी0एफ0प्लस, उदीयमान–ओडीएफ स्थायित्व+ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन
- ओ0डी0एफ0प्लस, उज्जवल–ओडीएफ स्थायित्व+ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन+तरल अपशिष्ट प्रबन्धन
- ओ0डी0एफ0 प्लस–उत्कृष्ट

समस्त ग्रामों को उत्कृष्ट ओ0डी0एफ0प्लस की स्थिति प्राप्त करना है,

- ग्राम के सभी परिवारों को कार्यात्मक शौचालयों की सुलभता,
- सभी विद्यालयों/आंगनवाडी केन्द्रों/पंचायत घरों में महिला/पुरूषों के लिए पृथक–पृथक कार्यात्मक शौचालय की सुलभता,
- ग्राम के सभी सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा–करकट न होना, अपशिष्ट जल जमाव न के बराबर हो एवं प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्रीकरण(ढेर) न हो,
- ग्राम में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की व्यवस्था हो,
- ग्राम में तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की व्यवस्था हो
- ग्राम के सार्वजनिक स्थलों पर ओ0डी0एफ0 प्लस के आई0ई0सी0 सन्देश प्रमुखता से प्रदर्शित किये गये हो, मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं।

पंचायतों की भूमिका

- ग्राम स्वच्छता प्लान तैयार करना।
- गांव/ग्राम पंचायत का ओ.डी.एफ. दर्जा बनाए रखना एवं ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं का सहयोग।
- स्वच्छाग्रहियों के माध्यम से शौचालायों की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए जागरूकता उत्पन्न करने और तकनीकी जानकारी प्राप्त करने में सहायता करना।
- जहां आवश्यक हो, वहां रेट्रोफिटिंग या नवीकरण के लिए व्यावहारिक सहायता प्रदान करना
- समुदायों में सभी लोगों (पुरूष, महिलाओं, बच्चों) के बीच शौचालयों का सदैव इस्तेमाल किये जाने के संबंध में जागरूकता बढ़ाना
- शौचालयों के नियमित रखरखाव और उन्हें कार्यात्मक बनाये रखने के लिए समुदाय के सदस्यों के साथ नियमित रूप से चर्चा करना
- निगरानी समितियों की गतिशीलता।
- ठोस और तरल कचरा प्रबंधन की गतिविधियों को लागू करना एवं व्यक्तिगत घरेलू स्तर के प्रबन्धन के लिए परिवारों और समुदायों की यथा आवश्यक मदद करना

क्षेत्र पंचायतों की भूमिका

15वें वित्त के टाइड ग्रांट के अन्तर्गत शासनादेश 1817/33–3–2020–33/2020 दिनांक 24 जुलाई 2020 के द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्त

- सामुदायिक शौचालय का निर्माण अपनी सीमान्तर्गत प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील परिसर, विकास खण्ड परिसर, बस स्टेशन, टैक्सी स्टैण्ड, बाजारों आदि पर कराना।
- निर्मित सामुदायिक शौचालयों/स्वच्छता परिसर के परिचालन, साफ–सफाई एवं अनुरक्षण।
- यथासम्भव सामुदायिक शौचालयों को एक बिजनेस मॉडल के रुप में विकासित करना।
- सार्वजनिक स्थलों/Rest Area/ जनसुविधा केन्द्र (शौचालय व पेयजल, जलपान, वाहनों की पार्किंग) के लिये व्यवस्था करना।
- बाजारों, हाट पैड, पशुबाजार आदि के स्थान पर स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था करना।

क्षेत्र पंचायतों से अपेक्षा एवं भूमिका

सहयोग एवं हैण्डहोल्डिंग	• ग्राम पंचायत कों जोड़ने एवं उनके मध्य संचालित की जाने वाली गतिवधियों को ग्राम स्तरीय नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित कराते हुये वित्तीय गैप को पूर्ण कराना। • गोबरधन योजना का चयन एवं संचालन • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं के संचालन हेतु गैप का आकलन एवं सहयोग • समुदायिक गतिविधियों के संचालन और रखरखाव के लिए व्यवस्था बनाना
जन जागरुकता/ जनान्दोलन	• विकास खण्ड स्तरीय स्वच्छता प्रतियोगिता का आयोजन। • ग्राम प्रधान एव क्षेत्र पंचायत सदस्यों का उन्मुखीकरण • प्रधान, सचिव/एडीओ का रिफ्रेशर • विकास खण्ड के मुख्य मार्गों एवं बाजारों में होर्डिंग/बोर्ड की स्थापना • मासिक धर्म अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु जन जागरुकता
संसाधन तैयार करना	• विकास खण्ड स्तरीय प्लास्टिक संग्रहण केन्द्र की स्थापना • कई ग्रामों के संकलित ग्रेवाटर की प्रबन्धन की व्यवस्था • सैनिटाइजेन हेतु फॉगिंग मशीन/स्प्रेयर व सेफ्टिक टैंक को खाली करने आदि की व्यवस्था कराना • अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले बाजारों, हॉट पैड, पशुबाजार आदि के स्थान पर स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था एवं सामुदायिक शौचालय का निर्माण • मासिक धर्म अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु इन्सनिरेटर की स्थापना
अभिसरण	• क्षेत्र पंचायत की योजना में एसएलडब्लूएम को प्राथमिकता की सूची में सम्मिलित करना • विकास खण्ड में विभागों के मध्य समन्वय समिति का गठन एवं वित्तीय व्यवस्थाओं में कन्वर्जेन्स कराना

जिला पंचायतों की भूमिका

15वें वित्त के टाइड ग्रांट के अन्तर्गत शासनादेश 1817/33–3–2020–33/2020 दिनांक 24 जुलाई 2020 के द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्त

- सामुदायिक शौचालय का निर्माण अपनी सीमान्तर्गत कलेक्ट्रेट परिसर, अस्पताल, विकास भवन, जिला पंचायत परिसर, बस स्टेशन, टैक्सी स्टैण्ड, बाजारों आदि पर कराना।
- निर्मित सामुदायिक शौचालयों/स्वच्छता परिसर के परिचालन, साफ–सफाई एवं अनुरक्षण।
- यथासम्भव सामुदायिक शौचालयों को एक बिजनेस मॉडल के रुप में विकासित करन।
- प्रदेश के नेशनल हाईवे/स्टेट हाइवे/मेजर डिस्ट्रिक रोड आदि पर Rest Area/जनसुविधा केन्द्र(शौचालय व पेयजल, जलपान, वाहनों की पार्किंग) के लिये व्यवस्था करना।
- बाजारों, हॉठ पैड, पशुबाजार आदि के स्थान पर स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था करना।
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन– इकाई की स्थापना, प्लास्टिक/थर्माकोल के विनिर्माण व प्रयोग को प्रतिबन्धित करना तथा संग्रहण रि–यूज व रिसाइकिल की व्यवस्था करना।
- बाजारों, हाठ पैड, पशुबाजार आदि के स्थान पर स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था
- तरल अपशिष्ट हेतु वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड
- मलीय अपशिष्ट प्रबन्धन
- गोबरधन परियोजनायें एवं बायोगैस संयंत्र
- जल संचयन/भूजल पुर्नभरण के कार्य

नियोजन–ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायत स्वच्छता योजना

ग्राम पंचायत स्वच्छता योजना

- प्रत्येक ग्राम पंचायत स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण और जल जीवन मिशन के समेकित कार्यान्वयन "ग्राम कार्य योजनाएँ" तैयार करेगीं।
- ग्राम कार्य योजना, GPDP और साथ ही संबंधित जिला स्वच्छता योजनाओं के अनुवर्ती निर्माण में एक इनपुट संसाधन के रूप में कार्य करेगी।
- ग्राम सभा की स्वीकृति एवं जिला स्वच्छता समिति को भेजना।

ग्राम पंचायत योजना में निम्नलिखित की अनिवार्यता, पहचान की जाएगी–

- नए घरों की संख्या जिन्हें शौचालय उपलब्ध कराने के लिए मदद की आवश्यकता है। इस योजना में यह तय किया जाएगा कि इन घरों को व्यक्तिगत घरेलू शौचालय उपलब्ध कराया जाएगा अथवा सामुदायिक स्वच्छता परिसर।
- किसी भी खराब शौचालय की मरम्मत करने, अपग्रेड करने/कार्यशील बनाने के लिए आवश्यक कार्यकलाप।
- जल जीवन मिशन के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यकलाप। यह गांव में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए विकसित ग्राम कार्य योजना में सहमति प्राप्त कार्यों के अनुरुप होने चाहिए।

ग्राम पंचायत योजना में निम्नलिखित की अनिवार्यता, पहचान की जाएगी–

- ➢ वर्ष में कार्यान्वित किए जाने वाले व्यक्तिगत साफ–सफाई संवर्धन कार्यकलाप।
- ➢ वर्ष में आवश्यक आईईसी और क्षमता निर्माण कार्यकलाप, उनके कार्यान्वयन की योजना, समय निर्धारण, निधियन।
- ➢ ठोस कचरा और तरल कचरा प्रबंधन के लिए स्थान और परिसंपत्तियों की संख्या।
- ➢ वार्षिक परिचालन एवं रख–रखाव लागतों को पूरा करने के लिए निधियों के स्रोत सहित परिचालन एवं रख–रखाव की व्यवस्था।
- ➢ किसी कार्य के लिए निजी क्षेत्र, गैर–सरकारी एजेंसियों को शामिल करना और उनके नियोजन के नियम व शर्तें।
- ➢ ग्राम पंचायत के प्रत्येक राजस्व गांव में की जाने वाली गतिविधिओं का विवरण।
- ➢ प्रत्येक गतिविधि के लिए बजट का आवंटन और वित्तपोषण स्रोतों की पहचान।

नियोजन–ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायत स्वच्छता योजना

क्षेत्र/जिला पंचायत स्वच्छता योजना

- प्रत्येक **क्षेत्र/जिला पंचायत** 15वां केन्द्रीय वित्त/पंचम राज्य वित्त अन्तर्गत निर्धारित कार्यों के अनुरुप यथावश्यक स्वयं के संसाधनों से भी अभिसरण करते हुये कार्य योजनाएँ'' तैयार करेगीं।
- कार्य योजना, क्षेत्र/जिला पंचायत की बैठक में प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त करते हुये जिला स्वच्छता समिति को अग्रसारित की जायेगी।
- कार्य योजना, GPDP एवं साथ ही संबंधित जिला स्वच्छता योजनाओं के अनुवर्ती निर्माण में एक इनपुट संसाधन के रूप में होगी।

नियोजन–ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायत स्वच्छता योजना

जिला स्वच्छता योजना

- प्रत्येक जिला अपनी ग्राम पंचायतों की ग्राम कार्य योजनाओं को समेकित करके और चरण–2 के कार्यान्वयन के लिए ब्लॉक और जिला स्तरों पर किए जाने वाले कार्यकलापों को शामिल करके एक जिला स्वच्छता योजना तैयार करेगा।

जिला स्वच्छता योजना में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा–

- ➢ नए घरों की संख्या जिन्हें शौचालय उपलब्ध कराने के लिए मदद की आवश्यकता है। इसे ग्राम कार्य योजनाओं से लिया जाएगा।
- ➢ प्रमुख आईईसी कार्यकलाप जिनका उपयोग स्थायित्व, व्यवहार परिवर्तन तथा गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट परिसंपत्तियों के कार्यान्वयन और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा व उनका वित्त पोषण, प्रसार, स्टाफिंग, मीडिया योजना और समय–निर्धारण।
- ➢ प्रमुख क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण का कार्यक्रम।

जिला स्वच्छता योजना में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा–

- ➢ प्रतिवर्ष प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयों के निर्माण की संख्या और विवरणिका का कार्यक्रम।
- ➢ जिले में **FSM** के कार्यान्वयन का कार्यक्रम।

- वर्ष के दौरान बायोडिग्रेडेबल ठोस कचरा प्रबंधन हेतु चुने गए गाँवों में सृजित की जाने वाली अवसंरचनाओं की संख्या और प्रकार।
- वर्ष के दौरान गंदला जल प्रबंधन के लिए चुने गए गाँवों में सृजित की जाने वाली अवसंरचनाओं की संख्या और प्रकार।
- कार्यकलापों को पूरी तरह वित्तपोषित करने के लिए वित्त आयोग, मनरेगा आदि से धनराशि प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए स्थापित अभिसरण तंत्र।
- निगरानी, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन की व्यवस्था।
- सभी जनपद वर्ष 2020–21 से प्रतिवर्ष **SSM** द्वारा तय की गई तारीख के अनुसार योजना तैयार करेंगे और राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद इसे एमआईएस पर अपलोड करेंगे।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)–गरीबी उन्मूलन

- कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामीण स्तर पर मनरेगा, 15वां केन्द्रीय वित्त, पंचम राज्य वित्त, एसबीएम तथा अन्य योजनाओं के अभिसरण से ग्रामीण जनों को उनकी क्षमतानुसार कार्य/रोजगार की व्यवस्था।
- मुख्यतः महिला, गरीब, पिछड़े एवं दलित वर्ग को व्यक्तिगत/सामुदायिक माध्यमों से आर्थिक गतिविधियों से आच्छादित करना।
- स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सामुदायिक शौचालयों की साफ–सफाई एवं रख–रखाव ।
- ग्रामीण जनों को उनकी क्षमतानुसार मिशन के दृष्टिगत क्षमतावर्धन।
- स्वच्छ भारत मिशन में निर्धारित गतिविधियों में यथासम्भव मार्केट लिंकेज।

जिला पंचायत सदस्य की भूमिका

- अपने क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान एवं पंचायत स्तर पर कार्यरत विभागीय कर्मियों एवं ग्राम वासियों को ओ0डी0एफ0 प्लस बनाने हेतु प्रोत्साहित करना।
- प्लास्टिक के कचरा प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा कर क्षेत्र पंचायत स्तर पर स्थापित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट तक पहुँचाने की व्यवस्था को सृदृढ़ बनाने में सहयोग प्रदान करना।
- गोबरधन के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार उपयुक्त स्थानों पर बायो गैस प्लांट स्थापित करने में सहयोग प्रदान करना।

4
पंचायत कल्याण कोष उ0प्र0

''नुकसान से निपटने में सबसे जरूरी चीज है उससे मिलने वाले सबक को न भूलना। वो आपको सही मायने में विजेता बनाती है।''

–महिर्ष स्वामी दयानन्द सरस्वती

जनता के प्रतिनिधि के रुप में निर्वाचित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष व त्रिस्तरीय पंचायत के समस्त सदस्यों को पद पर बने रहते हुए मृत्यु की दशा में उनके आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा पंचायत कल्याण कोष उ0प्र0 की स्थापना की गई है।
यह योजना दिनांक–16.12.2021 से प्रभावी है।

आश्रित को दी जाने वाली धनराशि

- ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष – रु0 10 लाख
- सदस्य जिला पंचायत – रु0 5 लाख
- सदस्य क्षेत्र पंचायत – रु0 3 लाख
- सदस्य ग्राम पंचायत – रु0 2 लाख

आवेदन की प्रक्रिया

- पंचायत प्रतिनिधि के आश्रित व्यक्ति द्वारा कल्याण कोष में अनुमन्य धनराशि प्राप्त करने **prdfinance.up.gov.in** पर सीधे ऑनलाइन आवेदन अथवा अपने जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क कर किया जा सकता है।
- आवेदन प्रपत्र पर समस्त सूचनाएं अंकित करके आवश्यक अभिलेख अपलोड करने के उपरान्त विवरण फ्रिज किया जायेगा।
- जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा मृतक पंचायत प्रतिनिधि के आश्रित व्यक्ति के किये गये आवेदन को निर्धारित पोर्टल से अपने लाग इन आई0डी0 व पासवर्ड के माध्यम से डाउनलोड कर समस्त सूचनाओं व अभिलेखों का परीक्षण कराकर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। अनुमोदनोपरान्त आवेदन पर अपनी संस्तुति कर धनराशि हस्तांतरण हेतु पोर्टल पर अपलोड करते हुए राज्य स्तर पर अग्रसारित किया जाता है।
- राज्य स्तर पर जनपद द्वारा अग्रसारित आवेदन व अभिलेखों को डाउनलोड कर आवेदक के बैंक विवरण को पी.एफ.एम.एस. पर वेलिडेट करने के उपरान्त निर्धारित धनराशि आश्रित व्यक्ति के खाते में हस्तांतरित कर किया जाता है।

आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख

आवेदन के साथ अपलोड किये जाने वाले अभिलेख'–

- पंचनामा/पोस्टमार्टम की रिपोर्ट/रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर द्वारा जारी प्रमाण – पत्र।
- प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में सक्षम स्तर से निर्गत मृत्यु प्रमाण–पत्र।
- ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सदस्य के मृत्यु की स्थिति में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रमाण–पत्र, क्षेत्र प्रमुख/क्षेत्र पंचायत सदस्य मृत्यु की स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र एवं जिला पंचायत अध्यक्ष/जिला पंचायत सदस्य के मृत्यु की स्थिति में अपर मुख्य अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

5

मातृभूमि योजना

" ऐसा कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। जो उससे ज्यादा न कर सके जितना की वो सोचता है कि वह कर सकता है।"

–हेनरी फोर्ड

उ0प्र0 मातृ भूमि योजना

पंचायतीराज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–57/2021/2171/33–3–2021, दिनांक–12.11.2021 के क्रम में उ0प्र0 मातृ भूमि योजना के संचालन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (पी0एम0यू0) के गठन व संचालन हेतु दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

उ0प्र0 मातृ भूमि योजना का उद्देश्यः–

- ग्राम पंचायत में विकास कार्य, अवस्थापना सुविधा का विकास व पंचायत राज अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत अनुमन्य कार्यों को ग्राम में निवासरत व बाहर रहने वाले व्यक्तियों/निजी संस्थाओं के सहयोग से परिसम्पत्ति के निर्माण व अनुरक्षण में सहभागिता किया जाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यों के तीव्र गति के साथ–साथ उसमें गुणात्मक सुधार एवं नवीन तकनीकों व विचारों का समावेश।
- निजी निवेश तकनीकी सहयोग एवं सुपरविजन की उपलब्धता से कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि।

उ0प्र0 मातृ भूमि योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का वित्तीय समावेश एवं मरम्मत व रखरखाव –

पंचायत में कराये जाने वाले कार्य हेतु निर्धारित लागत में से सहयोगकर्ता/सहयोगकर्ता द्वारा अपने गाँव में 60 प्रतिशत या उससे अधिक राशि का सहयोग देकर कार्य सम्पन्न करवा सकेंगे सहयोगकर्ता द्वारा दी गई राशि के उपरान्त शेष 40 प्रतिशत राशि के अनुदान की व्यवस्था राज्य सरकार करेंगी। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान की राशि शेष 40 प्रतिशत या उससे कम राशि की व्यवस्था सम्बन्धित विभागों के बजट प्राविधानों से की जायेगी (सांकेतांक सूची संलग्न 1)। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आकार व प्रकार का शिलापट्ट सहयोग करने वाले व्यक्ति/संस्था के प्रस्तावानुसार उस भवन अथवा अवस्थापना सुविधा के ऊपर यथोचित स्थान पर प्रदर्शित किया जायेगा। सहयोगकर्ता द्वारा कार्य स्वयं अथवा स्वयं की पसन्द की एजेंसी के माध्यम से कराया जा सकता है। योजना के तहत किये गये कार्यो के मरम्मत रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित विभाग व संस्था जिसे परिसम्पत्ति स्थानान्तरित की जायेगी उसकी रहेगी।

उ0प्र0 मातृ भूमि योजना के क्रियान्वयन हेतु सोसायटी का गठनः–

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन व संचालन हेतु उ0प्र0 मातृ भूमि सोसायटी का गठन किया जायेगा, जिसका पंजीकरण सोसायटी रजिस्टर एक्ट, 1860 के अन्तर्गत कराया जायेगा। सोसायटी का राज्य स्तर पर Escrow बैंक अकाउण्ट एवं जिला स्तर पर मातृभूमि योजना सोसायटी के अन्तर्गत अलग से बैंक अकाउण्ट खुलवाया जाएगा। सोसायटी को आवश्यकतानुसार Cropus Fund उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उपयोग किसी योजना हेतु राज्यांश के बजट की उपलब्धता न होने पर किया जाएगा व बजट उपलब्ध होने पर इसे Reimburse किया जाएगा। इस Cropus Fund के ब्याज से PMU के संचालन का व्यय भार वाहन किया जा सकेगा।

उ0प्र0 मातृ भूमि योजना के क्रियान्वयन हेतु पी0एम0यू0 का गठनः–

योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए इस हेतु ''उ0प्र0 मातृभूमि सोसायटी'' द्वारा प्रोजेक्ट मैंनेजमेन्ट यूनिट PMU का गठन किया गया है।

पी0एम0यू0 के कार्य एवं दायित्वः–

योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय बैंक एकाउण्ट PMU द्वारा संचालित किया जाएगा। PMU द्वारा इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से सहयोगकर्ताओं के सहयोग की राशि एवं सरकार के अनुदान की राशि योजना के लिए खुलवाये गये अलग बैंक अकाउण्ट में जमा होगी। इस राशि के जमा होने के बाद, उसमें सम्बन्धित कार्य के लिए व्यय किया जा सकेगा। पोर्टल के ऊपर कार्यों का विवरण और कार्य का प्रकार, आदि दर्शाना होगा, ताकि सहयोगकर्ता को सहयोग देने के लिए सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध हो सके। सम्बन्धित ग्राम पंचायत, विकास खण्ड, पंचायत और मुख्य विकास अधिकारी के लिए आवश्यकतानुसार लॉग इन आई0डी0 और पासवर्ड का प्राविधान किया गया है।

जिला पंचायत सदस्य की भूमिका

अपने क्षेत्रान्तर्गत पंचायतों के व्यक्तियों या निजी संस्थाओं को ग्राम पंचायत में बुनियादी एवं आवश्यक निर्माण कार्यो/नागरिक सेवाओ/परिसम्पत्तियों को सृजित करने या और बेहतर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने में अपना योगदान कर सकते है।

6

स्वयं की आय स्रोत (O.S.R.) (ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत)

" अपने खर्चे काटने से ज्यादा ज़रूरी है अपनी आमदनी बढ़ाना।"

– रॉबर्ट क्योस्की

स्वयं के आय के स्रोत

स्वयं की आय के स्रोत अर्थात पंचायतों की खुद की आय वह आय है, जो पंचायतें अपने खुद के प्रयास से सृजित करती हैं। अर्थात पंचायतें सुविधओं एवं सेवाओं के बदले अपनी सीमा के अंदर नागरिकों से उनकी सहमति से कर–शुल्क, फीस अथवा अंशदान के रूप में वसूल करती है।

पंचायत को अपने आयस्रोतो की आवश्यकता क्यों?

पंचायत की उन प्राथमिकताओं या योजनाओं के लिए पैसे कहां से आएंगे जिनके लिए कोई स्कीम नहीं है? इस संदर्भ में मूलतः दो स्रोतों को चिन्हित किया जा सकता है:–

- गैर–कर आय के स्रोत
- करारोपण.

इन दोनों स्रोतों के कई पहलू हैं. यह देखने की जरूरत होगी कि सभी पंचायतों के पास एक समान परिसम्पत्ति नहीं होती क्या कुछ नई परिसम्पत्तियां सृजित की जा सकती हैं? पंचायतें सीधे अपनी परिसम्पत्ति से या उनका विकास करके कितना धन जुटा सकती हैं? इसी प्रकार, करारोपण की कितनी गुंजाइश है? हम यह मानकर चल रहे हैं कि सभी पंचायतों में स्थानीय संसाधन एक समान नहीं हैं और उन पर करारोपण की सम्भावनाएं भी एक समान नहीं हैं इसी प्रकार, किस मामले में करारोपण किया जाए,या न किया जाए, या किसे कर के दायरे से मुक्त रखा जाए, यह सब उस पंचायत और वहां के नागरिकों की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

गैर करारोपण से स्वयं की आय के उदाहरण –

- पंचायत की परिसम्पत्तियों उदाहरण के लिए, फलदार वृक्षों के फलों, वृक्षों की कटाई–छटाई से निकलने वाली लकड़ियों, पोखर या तालाब में मछलियों की सालाना नीलामी से होने वाली आमदनी।
- अनुत्पादक परिसम्पत्तियां जैसे कोई अप्रयुक्त या बंजर भूमि पर व्यावसायिक दृष्टि से कोई बाजार या कार्यालय बनवाना या वहां पेड़ लगवा देना या सामुदायिक केन्द्र बनवा देना आदि।
- श्रमदान आय का एक अप्रत्यक्ष परन्तु आजमाया हुआ जरिया है।
  कुछ पंचायतों की वीडियों दिखाना जिन्होने स्वयं की आय की हो जैसे (Public Address System, Water ATM, CCTV) आदि।

पंचायती राज अधिनियम, 1947 की धारा–37 में ग्राम पंचायतों हेतु करारोपण संबंधी निम्न व्यवस्था की गयी है:–

खण्ड / उपखण्ड
धारा 37. करों तथा शुल्क का आरोपण–1– ग्राम पंचायत एतद्पश्चात् दिये गये खंड (क) और (ख) में कथित कर लगायेगी और खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), और (ट) में वर्णित सभी या कोई कर, फीस और शुल्क लगा सकती है, अर्थात
(क) उन क्षेत्रों में जहां उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950, जौनसार–बावर जमींदारी–विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1956 के अधीन मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जित कर लिये गये हों, भूमि पर उसके लिये देय अथवा देय समझे जाने वाली भू–राजस्व की धनराशि पर प्रति रूपया, {कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे से अनधिक कर लगा सकती है} प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि पर उस व्यक्ति से जिसके द्वारा उसके लिये भू–राजस्व देय अथवा देय समझा जाये, भिन्न व्यक्ति वास्तव में कृषि करता हो तो कर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जो उस पर वास्तव में कृषि करता हो।
(ख) खण्ड (क) में अभिदिष्ट क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में मौलिक अधिकार से सम्बन्धित प्रवृत्त विधि के अधीन किसी काश्तकार द्वारा, वह कुछ भी कहलाता हो, देय भू–राजस्व को धनराशि पर प्रति रूपया {कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे से अनधिक कर लगा सकती है} प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि पर उस व्यक्ति से जो उसके लिये भू–राजस्व का देनदार हो, से भिन्न व्यक्ति वास्तव में कृषि करता हो तो उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जो उस पर वास्तव में कृषि करता हो।
(ग) प्रेक्षागृह (थियेटर), चलचित्र (सिनेमा) अथवा इसी प्रकार के मनोरजंन कार्य जो अस्थाई रूप से ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आया हो पर कर, परन्तु यह कर 5/– रूपये, प्रतिदिन से अधिक न होगा।
(घ) ग्राम पंचायत क्षेत्र में रखे हुए और किराये पर चलाये जाने वाले यंत्रचालित वाहनों से भिन्न वाहनों तथा पशुओं पर उसके स्वामियों द्वारा देय लगा सकते हैं, जो निम्नलिखित दर से होगा– (1) पशुओं के सम्बन्ध में प्रति पशु 3/– वार्षिक से अधिक न होगा। (2) वाहनों के सम्बन्ध में प्रति वाहन 6/– वार्षिक से अधिक न होगा।
(ङ) उन व्यक्तियों से जिन पर खण्ड (ग) के अधीन कोई कर लगाया गया हो, भिन्न व्यक्तियों पर कर लगा सकती है, जो ऐसे बाजारों, हाटों अथवा मेलों में बिक्री के लिए सामान प्रदर्शित करें, जो संबंधित ग्राम पंचायत के स्वामित्व या नियंत्रण में हो;
(च) उन पशुओं की रजिस्ट्री पर शुल्क लगा सकती है, जो ऐसे बाजार अथवा भूमि पर बेचे गये हों, जो सम्बन्धित ग्राम पंचायत के स्वामित्व व नियंत्रण में हों,
(छ) बधशालाओं और पडाव की भूमि के प्रयोग के लिये शुल्क लगा सकती है,
(ज) जल शुल्क, जहाँ ग्राम पंचायत द्वारा घर के उपभोग के लिए संभारित किया जाता हो, और (झ) यदि सफाई ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है, तो निजी शौचालय और नालियों को साफ करने के लिए कर लगा सकती है जो उन मकानों के, जिनसे वे शौचालय व नालियाँ साफ हों, स्वामियों अथवा अध्यासियों द्वारा देय होगा, और

(ञ) सड़कों की सफाई और उन पर रोशनी और स्वच्छता के लिये कर

(ट) जहाँ ग्राम पंचायत द्वारा सिचाई के प्रयोजनार्थ छोटी सिंचाई की परियोजना जल संभरण हेतु बनायी गयी या अनुरक्षित की गयी हो, की कोई सिंचाई दर।

(ठ) कोई ऐसा अन्य कर जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान मण्डल को संविधान के अधीन, उसके अनुच्छेद 277 को सम्मिलित करते हुए हो और जिसका ग्राम पंचायत द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो।

2–उपधारा (1) के अधीन कर, उपशुल्क तथा शुल्क उस रीति से और ऐसे समय पर जो विहित किये जायें, आरोपित, निधार्रित तथा वसूल किये जायेंगे।

धारा 37 (क) कर उपशुल्क अथवा शुल्क लगाये जाने के विरूद्ध अपील–ग्राम पंचायत द्वारा लगाये गये कर, उपशुल्क अथवा शुल्क के विरूद्ध अपील विहित प्राधिकारी को की जा सकेगी।

OSR के संभावित स्रोत

1. नए घरों के निर्माण पर शुल्क – ग्राम पंचायत, ग्राम सभा में सबकी सहमति से निर्णय लेकर अधिरोपित करें।
2. भवन के लिए कर, शुल्क अथवा फीस
3. बोरिंग पर टैक्स या स्वयं के अलावा बोरिंग से दूसरे के खेत की सिचाई के लिए शुल्क
4. ग्राम पंचायत की परिधि में आने वाले व्यवसास पर शुल्क
5. बाज़ार, हाट, मेले एवं उत्सव के आयोजन पर शुल्क
6. आर.ओ. वाटर के लिए सांकेतिक दर पर पीने के पानी की उपलब्धता
7. सड़क के किनारे की ज़मीन पर दुकान बनाकर किराया वसूलना
8. राजस्व संहिता के नियमों का पालन करते हुए तालाबों के पट्टे पर शुल्क
9. पानी की टंकी का निर्माण कर टैप के माध्यम से जल वितरण एवं शुल्क का आरोपण
10. सार्वजनिक संपत्ति पर शुल्क का अधिरोपण एवं प्रबंधन
11. ग्राम पंचायत की खाली ज़मीन पर औषधीय खेती एवं आय
12. ओपन जिम/पार्क/सामुदायिक भवन आदि के सार्वजनिक उपयोग से आय का सृजन
13. ग्राम पंचायत की सड़क से गुजरने वाले भारी वाहनों से कर वसूली
14. पंचायत की बंजर ज़मीन को किराये पर उठाकर आय सृजित करना
15. कूड़ा–कचरा प्रबंधन पर सुविधा शुल्क
16. गौशाला के उत्पादों से आय का सृजन
17. सोलर पैनल लगाकर बिजली की सप्लाई एवं शुल्क अधिरोपण
18. लघु वन उपज शुल्क
19. जन सेवा केन्द्र से शुल्क अथवा फीस
20. पुस्तकालय से टैक्स
21. खानों एवं खदानों के प्रयोग से टैक्स
22. ईंट भट्टों से टैक्स
23. मत्स्य पालन से शुल्क

24. स्वयं सहायता समूह के व्यवसाय से शुल्क
25. व्यक्तिगत पशुओं से ग्राम पंचायत के बाग, वन, पेड़ पौधे की क्षति से टैक्स
26. तालाबों के पट्टों की नीलामी
27. बारात घर पर शुल्क

क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 131–(क) क्षेत्र पंचायत हेतु करारोपण संबंधी निम्न व्यवस्था की गयी है:–

क्षेत्र पंचायत द्वारा करारोपण – कोई भी क्षेत्र पंचायत, ऐसी नियत रीति से निम्नलिखित करारोपण कर सकती है–

(क) जलकर, जहाँ वह अपनी अधिकारिता के अधीन पीने के लिए, सिचाई के लिए या किन्ही अन्य प्रयोजनों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए किसी योजना का निर्माण या अनुरक्षण करती है।

(ख) विद्युत कर, जहाँ वह किसी सार्वजनिक मार्ग या अन्य किसी सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करती है और उसका अनुरक्षण करती है।

(ग) कोई ऐसा अन्य कर, जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान मण्डल को संविधान के अधीन, जिसके अनुछेद, 277 भी है, को तथा जिसका क्षेत्र पंचायत द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो।

जिला पंचायत द्वारा कराधान (धारा–119)

जिला पंचायत इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित कर आरोपित कर सकती है या उनका आरोपण जारी रख सकती है–

(क) विभव तथा सम्पत्ति पर कर

(ख) कोई ऐसा अन्य कर जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान मण्डल को "भारत का संविधान" के अधीन हो तथा जिसका जिला पंचायत द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो।

(ग) कर "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 285 के अधीन रहते हुए तथा इस अधिनियम तथा तद्धीन निर्मित नियमों, विनयमों तथा उपविधियों के अनुसार निर्धारित और उद्ग्राहित किये जायेगें।

राज्य सरकार का किसी कर के दोषों को दूर करने या उसे समाप्त करने का अधिकार धारा– 132

1. जिला पंचायत द्वारा आरोपित कर का उद्ग्रहण लोक हित के प्रतिकूल हैं या किसी कर का भार न्याय संगत नहीं है तो राज्य सरकार जिला पंचायत के स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् आदेश द्वारा जिला पंचायत से अपेक्षा कर सकती है कि वह, आदेश में निर्दिष्ट किये जाने वाले समय के भीतर, किसी ऐसे दोष को दूर करने का उपाय करे जो उसके विचार से कर में या कर के निर्धारण या वसूल के रीति में विद्यमान हो।

2. यदि जिला पंचायत राज सरकार के सन्तोषानुसार उपधारा (1) अधीन दिये गये आदेश का अनुपालन न करे या उसमें असमर्थ रहे तो राज्य सरकार, विज्ञप्ति, द्वारा कर का या उसके किसी भाग का उद्ग्रहण, उस समय तक लिए जब तक कि उक्त दोष दूर न कर दिया जाये, निलम्बित कर सकती है अथवा कर को समाप्त कर सकती है या कम कर सकती है।

क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत द्वारा शुल्क लिया जाना

धारा 142 के अनुसार क्षेत्र पंचायत की सम्पत्ति को पट्टे की अधीनता से भिन्न किसी रूप में प्रयोग करने के लिए शुल्क– क्षेत्र पंचायत यथा स्थिति अपनी निहित में या अपने प्रबन्ध में सौपी गयी किसी अचल सम्पत्ति के– जिसके अन्तर्गत कोई सार्वजनिक मार्ग ऐसा स्थान भी है जिसके प्रयोग या अध्यासन की वह, उसमें प्रक्षेप (projections) की अनुज्ञा देकर या अन्यथा, अनुमति देती है (पट्टे की अधीनता से भिन्न किसी रूप में) प्रयोग या अध्यासन के लिए शुल्क ले सकती है, जो उपविधि या सार्वजनिक नीलाम द्वारा या अनुबन्ध द्वारा निश्चित किया जायेगा।

धारा 143 लाइसेन्स शुल्क आदि क्षेत्र पंचायत किसी ऐसे लाइसेन्स, स्वीकृति या अनुमति के लिए जिसे स्वीकृत करने का उसे इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन हक हो या जिसे स्वीकृत कराना उससे अपेक्षित हो शुल्क ले सकती है जो उपविधि द्वारा निश्चित किये जायेगा।

कुछ अन्य शुल्क – राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से क्षेत्र पंचायत विद्यालय शुल्क, पुस्तकालयों, सरायों या पडावों के प्रयोग के लिए शुल्क क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्मित तथा अनुरक्षित निर्माण कार्यो या संस्थाओं में से किसी या किन्ही ऐसे कार्यो के जो मूलतः दूर्भित–निवारण या सहायता कार्यों के रूप में प्रारम्भ किये गये हो; प्रयोग के लिए या उनसे होने वाले लाभो के लिए शुल्क, साड़ों तथा बिजाश्वों की सेवा और पशु की रजिस्ट्री के लिए शुल्क ऐसे मेला बाजारों कृषि प्रदर्शनों और औद्योगिक प्रदर्शनियों के लिए शुल्क चाहे या उसके प्राधिकार के लिए की जाती हो या अन्यथा – जिनमें जन–साधारण को सम्मिलित होने की अनुमति हो और जिनमे क्षेत्र पंचायत सर्वसाधारण के लिए साफ सफाई संबंधी तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करती हो।

जिला पंचायत द्वारा आर्थिक विकास और आमदनी हेतु की जाने वाली गतिविधियाँ

पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने का संवैधानिक दायित्व मिला हुआ है जिसे क्षेत्र जिला पंचायतों को सक्षम बनाने वाला माहौल बनाकर और उनकी थैली में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने से पूरा किया जा सकता है। उच्चतर संस्थागत क्षमता तथा तकनीकी दक्षता के कैरियर अब ब्लॉक स्तर पर ग्राम पंचायतों की ओर से प्राप्त कार्यों को अब नये फोकस के साथ लागू किया जाएगा। मध्यवर्ती पंचायतों को समूचे ब्लाक की आर्थिक विकास सम्बन्धी गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करना होगा और अपने इलाके में लोगों के लिए रोजगार के अवसर जुटाने होंगे। ग्राम पंचायतों की आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर जुटाने की सीमित क्षमता की वजह से मध्यवर्ती पंचायतों को इस क्षेत्र को और अधिक प्राथमिकता देनी होगी। आर्थिक विकास और आय उत्पन्न करने की कुछ गतिविधिया इस प्रकार हैं

कृषि से सम्बन्धित और कृषि प्रसंस्करण इकाइयां

कृषि और इससे सम्बन्धित क्षेत्र कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं इसलिए शहरी इलाकों की बजाए ग्रामीण इलाकों में इस तरह की इकाइयां अपेक्षाकृत फायदे में रहती हैं। मध्यवर्ती पंचायतें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्यों के कृषि विभागों जैसे सम्बन्ध मंत्रालयों और विभागों के साथ समन्वित योजनाएं बनाकर आधुनिक ढांचे, साझा, सुविधाओं और क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। इस तरह वे उद्यमियों को क्लस्टर के रूप में कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके लिए किसानों/उद्यमियों के समूह बनाये जा सकते हैं और उन्हें प्रसंस्करण, विनिर्माण और विपणन सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकती है।

आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन को सुदृढ़ करना

क्षेत्र/जिला पंचायतें सप्लाई–चेन प्रबन्धन प्रणाली को सुदृढ़ करके द्वितीयक और त्रैमासिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी काम कर सकती हैं। फसलों के बढ़ते दाम, डिवेलपर्स को जमीनी की बिक्री, फसल चक्र, निर्यात पर जोर और ग्रामीण युवकों/प्रवासियों के घर वापस लौटने, सरकार की मनरेगा और महत्वपूर्ण योजनाओं तथा खेतिहर मजदूरों को बेहतर मजदूरी मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास खर्च करने के लिए अतिरिक्त आय उपलब्ध होने लगी है। गांव के लोगों को उनकी उपज के लिए लाभप्रद मूल्य और उनकी आमदनी में बढ़ोत्तरी सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण माहौल के अनुरूप उपयुक्त सप्लाई–चेन का विकास करके और सुदृढ़ करके रणनीतिक लाभ दिलाने की आवश्यकता है। ग्रामीण उत्पादन, परिवहन और प्रसंस्करण के तौर–तरीकों में नये–नये बदलाव लाकर रोजगार के चिरस्थायी अवसर पैदा किये जा सकते हैं और आमदनी बढ़ाई जा सकती है। क्षेत्र/जिला पंचायतें इन नये उपायों में मदद कर सकती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कायापलट करने के लिए कृषि सम्बन्धी विभिन्न तौर–तरीकों, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग, संचार टेक्नोलॉजी के उपयोग, सचन प्रशीतन सुविधाओं, कोल्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी के विकास, कम लागत पर प्रसंस्करण और पैकेजिंग आदि के क्षेत्र में नवाचार पर आधारित उपायों और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे सकती है।

जल्द खराब हो जाने वाले उत्पादों के लिए प्रशीतन श्रृंखला का विकास

खाद्य और कृषि संगठन का अनुमान है कि भारत में हर साल ताजा फलों और सब्जियों का 40 प्रतिशत उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले ही सड़ कर नष्ट हो जाते हैं जिनकी लागत 8.3 अरब डालर के बराबर होती है। दुनिया भर में कोल्ड स्टोर यानी शीत भंडारों की किसानों को उनकी उपज के आखिरी उपभोक्ता से जोड़ने और कुपोषण की समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विभिन्न समाज कल्याण गतिविधियों के माध्यम से सरकार कृषि में उत्पादन, भंडारण, बाजार मण्डी और कृषि उत्पादों की बिक्री जैसी गतिविधियों में भी मदद कर रही है लेकिन बुनियादी ढांचे अब भी अपनी आदिम अवस्था में है, इसलिए शीत भंडार गृह अन्य सम्बन्धित पक्षों के साथ सम्पर्क स्थापित कर किसानों और उद्योगों का बोझ कम करने में बड़ी मदद कर सकते हैं। कोल्ड चेन यानी शीत भंडार श्रृखंला के कई किफायती मॉडल है। क्षेत्र/जिला पंचायतें इन पक्षों के साथ तालमेल कायम करके टिकाऊ कोल्ड चेन प्रणाली के विकास में मदद कर सकती हैं।

ग्रामीण बाजार हब के लिए पहल

ताजा उत्पादों या प्रसंस्कृत उत्पादों के विपणन में सफलता के लिए उत्पादों और कृषि पदार्थों के ग्रामीण प्रसंस्करण कर्ताओं को खास वस्तुओं के बाजार में स्थान बनाने के लिए उत्पादों की विशिष्टियों के बारे में जानकारी होना आवश्ययक है। नये बाजार में उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकरी के अभाव में सूक्ष्म उद्यमी सिमटते बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करते रह जाते हैं। ऐसा महसूस किया जाता है कि उत्पादों और प्रसंस्करण करने वालों के बीच कमजोर तालमेल से किसान गुणवत्ता सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में लापरवाह हो जाते हैं और इसलिए उनका ध्यान उत्पादों की मात्रा पर केन्द्रित रहता है। इस संदर्भ में स्वयं सहायता समूह और स्थानीय सहकारिताओं को छोटे मगर आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक बाजारान्मुख कृषि प्रसंस्करण ईकाइया लगाने के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है ताकि ये स्थान/क्षेत्र विशेष की मांगों को पूरा कर सके। इनसे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और स्थानीय लोगों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। क्षेत्र/जिला पंचायतें ग्रामीण इलाकों में रहने वाली जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण बाजार हब के विकास की पहल कर सकती है। इसके लिए सरकारी ई–मार्केट प्लस जीईएम–जेम के उपयोग को बढ़ावा देना भी जरूरी है।

पंचायत और निजी क्षेत्र के बीच मजबूत साझेदारी

स्थानीय आर्थिक विकास महज व्यक्तियों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना भर नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य सतत् आर्थिक विकास करना और जीवन में सुधार लाना है। कुछ सेवाएं, खास तौर पर टिकाऊ नौकरी उपलब्ध कराने और आमदनी बढ़ाने वाली सेवाओं को निजी संगठनों की साझेदारी से बेहतर तरीके से उपलब्ध कराया जा सकता है। क्षेत्र/जिला पंचायतों को वाणिज्यिक आधार पर सेवाएं उपलब्ध कराने में साझेदारी का रास्ता अपनाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए क्षेत्र/जिला पंचायतों को भी समुदाय आधारित संगठनों को सहायता देनी चाहिए। जनता को अधिक दक्षता से सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्हें पेशेवर संगठनों के साथ साझेदारी करने को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। जनता के जीवन की गुणवत्ता में लगातार और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल तरीके के सुधार लाने के लिए नयी टेक्नोलाजी को अपनाने में क्षेत्र में साझेदारी के विकास पर पर्याप्त जोर दिया जाना चाहिए। अक्षय एवं नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग, उपलब्ध जल के बेहतर प्रबन्धन और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए नयी टेक्नोलॉजी अपनाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए बायो–टेक्नोलाजी के उपयोग को भी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल किया जा सकता है।

कचरे से संपदा

भारत में शहरी, औद्योगिकी और कृषि से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट/कचरे से कर्जा के उत्पादन की अच्छी–खासी क्षमता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशियों के गोबर या साग–सब्जियों/भोजन जैसे विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों से बायो सीएनजी, बायो गैस बनाकर उसका उपयोग भोजन पकाने, बिजली उत्पादन और परिवहन में किया जा

सकता है। इस तरह के उपायों से ऐसे नये बिजनेस मॉडलों का निर्माण हो सकेगा जिनसे संसाधनों की दृष्टि से कुशल उत्पादो का निर्माण और सेवाएं शुरु की जा सकेंगी और अंततः इससे रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होंगे। बढ़ी हुई मांग और उपभोक्ताओं की स्वीकार्यता से अधिक संख्या में उत्पादन से लागत में कमी आने का फायदा मिलेगा जिससे कीमतें कम होंगी और वांछित बदलाव लाने में आसानी होगी। इतना ही नहीं रीसाइकल कर के सामान बनाने का अनिवार्य लक्ष्य तय करने और प्रभावी निगरानी नेटवर्क से समय पर वांछित कार्य निष्पादन करने में मदद मिलेगी। क्षेत्र/जिला पंचायतें इस प्रक्रिया में मदद के उद्देश्य से सम्बन्धित हितधारको के लिए पर्याप्त और किफायती बुनियादी ढांचा खड़ा करने की पहल कर सकती हैं। इस सम्बन्ध में संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए सम्बन्धित संगठनों और विभागों के साथ तालमेल और सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है।

ग्रामीण उद्योग क्लस्टर

एक अनुमान के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम (एमएसएमई) क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 31 प्रतिशत का योगदान है। देश में करीब 5.58 करोड़ एमएसएमई है जिनमें 124 करोड लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इनमें से 14 प्रतिशत महिलाओं की देखरेख में चल रहे उद्यम हैं और 59.5 प्रतिशत एमएसएमई ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। क्षेत्र/जिला पंचायतों को मौजूदा एमएसएनईजी और नये एमएसएमईज के क्लस्टरों के विकास में मदद करनी चाहिए क्योंकि ये स्वाभाविक क्षमता वाले स्थल बन सकते हैं। निजी क्षेत्र और समुदाय आधारित संगठनों, खास तौर पर महिला सहकारी संस्थाओं के सहयोग से इन क्लस्टरों का विकास किया जाना चाहिए जिससे महिलाएं स्वावलंबी एवं आत्म निर्भर बन सकें।

प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन

प्राकृतिक संसाधन की गुणवत्ता में ह्रास का सीधा नकारात्मक असर गरीबों की आजीविका पर पड़ता है। क्षेत्र/जिला पंचायत को सम्बन्धित सामुदायिक संस्थानों की क्षमता जल और वन उत्पादों के संरक्षण प्रबन्धन और उपयोग की दृष्टि से बढ़ानी चाहिए। यह प्रयास समावेशी निर्धन हितेशी और सतत् ढंग से किया जाना चाहिए। रोजगार सृजन और खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिकतम आर्थिक लाभ सृजित करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और इनके उपयोग में सुधार की क्षमता भी बढ़ाए जाने की जरूरत है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन के लिए पंचायतों को प्रदत्त अधिकार और दायित्व को देखते हुए वे अपने सम्बन्धित क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन और संरक्षण के लिए सर्वाधिक उचित संस्थागत माध्यम हैं। समुदाय आधारित संस्थागत ढांचे में पंचायतों के साथ काम करने वाले विभिन्न उपयोग कर्ता समूहों को भी शामिल किये जाने की जरूरत है। क्षेत्र/जिला पंचायत अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए नावाचार के लिए समूचे आधार उपलब्ध करा सकते हैं तथा पंचायतों तथा उपयोगकर्ता समूहों को सुदृढ़ करने में सहयोग दे सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शोध संस्थाओं और अन्य हितधारकों के साथ भागीदारी से बेहतर पर्यावरण अनुकूल सतत् विकास के नियोजन में मदद मिलेगी।

धन के मामले में पंचायतें हमेशा से केन्द्र और राज्य सरकारों पर निर्भर रही हैं। अब वह समय आ गया है कि पंचायतें वित्तीय संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भर बने। इसके लिए आवश्यक है की पंचायते अपने अपने क्षेत्रों में सेवाओं का विस्तार कर नागरिकों को बुनियादी सेवायें उपलब्ध कराएं एवं बदले में कर, शुल्क एवं फीस वसूले। इस पारस्परिक लेनदेन से पंचायतें आत्मनिर्भता की तरफ बढ़ेगीं। इससे पंचायतों में जवाबदेही एवं पारदर्शिता बढ़ेगी।

जिला पंचायतें स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित कर या अन्य निजी उद्यमों के सहयोग से आत्म स्थायी बिजनेस मॉडल्स सृजित कर सकती है जिससे जनोपयोगी कार्यो/सेवाओं या किसी उत्पाद का निर्माण कर सकती हैं जिससे क्षेत्र के नागरिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त होगें एवं इस प्रकार जिला पंचायत स्वयं के आय में वृद्धि कर सकती है।

स्रोत–

1. **उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961**
2. **पंचायती राज विभागीय वेबसाइट–panchayatiraj.up.nic.in.**

जिला पंचायत सदस्य की भूमिका

- अपने क्षेत्र में स्वयं की आय सृजित करने हेतु किसी संस्था/निजी उद्यम की सहायता से या सी0एस0आर0 फण्ड के माध्यम से कोई बेहतर नागरिक सुविधाएं अथवा सेवाओं हेतु बेहतर अवस्थापना सम्बन्धी परिसम्पत्ति का सृजन कर क्षेत्र पंचायत द्वारा स्वयं की आय में वृद्धि करने हेतु अपना योगदान सुनिश्चित करना।
- जिला पंचायत द्वारा निर्धारित कर एवं शुल्क का भुगतान करने हेतु जनसामान्य को प्रेरित/जागरूक करने हेतू अपना सहयोग प्रदान करना।

7

जिला पंचायत विकास योजना (डी.पी.डी.पी)

" नियोजन आगे देखना है, भावी घटनाओं की संकल्पना करना है तथा वर्तमान में भविष्य को प्रभावित करने वाले निर्णय लेना है। "

– क्लॉड एस.जॉर्ज

जिला पंचायत विकास योजना (डी.पी.डी.पी.)

जिला विकास योजना निर्माण हेतु रूपरेखा की आवश्यकता

- क्षेत्र की विकास संबंधी आवश्यकताओं का सही पता लगाने की सटीक प्रणाली उपलब्ध नहीं है।
- आर्थिक विकास और आय वृद्धि, कृषि, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, पशुपालन, कौशल इत्यादि प्रमुख क्षेत्रों की अल्प भागीदारी।
- खंड और जिला पंचायतों ने 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों में से केवल कुछ विषयों पर ध्यान दिया है।
- क्षेत्र में अन्य पंचायतों द्वारा विकास गतिविधियों की संचालन प्रणाली शुरू किया जाना।
- पंचायत के तीनों स्तर अलग–अलग काम कर रहे है और जिला विकास योजनाओं में जीपीडीपी की समीक्षा नहीं।
- ई–ग्राम स्वराज पर जिला योजनाओं को अपलोड किया जाना और पी0एफ0एम0एस0 के जरिए व्यय सुनिश्चित किया जाना।

डी.पी.डी.पी. का महत्व

- ग्राम पंचायतें मानव संसाधन, बुनियादी ढांचा संविधा और संस्थागत क्षमता की दृष्टि से अपनी सीमाओं के कारण केवल छोटी गतिविधियों की योजना बना सकती है।
- जिला पंचायत मानव शक्ति और संस्थागत क्षमता की दृष्टि से अपनी बेहतर स्थिति के कारण मध्यम से बड़ी गतिविधियों को लागू कर सकती है।
- जिले की उन आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकती है जिनका समाधान ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र की योजना में नहीं किया जा सकता है।
- जिला पंचायत के लिये उन गतिविधियों का क्रियान्वयन आवश्यक हो जाता है जो क्षेत्रीय रूप से दो या दो से अधिक विकास खण्डों को आच्छादित करती है।

(मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन स्तर से जारी शासनादेश संख्या– 04/33–3–2021–4/2021 दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अवलोकन हेतु पृष्ठ संख्या —— देखें।)

डी.पी.डी.पी. का उद्देश्य

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद–243जी. प्रावधानों अनुसार पंचायतों को अपने क्षेत्र में आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पंचायत के तीनों स्तरों को सशक्त बनाने हेतु सक्षम किया जाना है।
- इसमें कर लगाने का अधिकार एवं पंचायतों के लिए कोष के प्राविधान भी समिमलित है।
- पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है।

- जिला योजना समितियों को सभी पंचायतों द्वारा तैयार योजनाओं को समाहित कर जिला विकास योजना तैयार करने का दायित्व दिया गया है।

डी.पी.डी.पी. निर्माण की प्रक्रिया

- जिला पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों/प्रमुखों, ग्राम प्रधानों एवं सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों की बैठक जिला योजना में षामिल प्रस्तावों पर विचार–विमर्श हेतु बुलाया जाना।
- योजना में सम्मिलित होने वाले परियोजनागत प्रस्तावों को निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया जाना।
- सम्मिलित की जाने वाली गतिविधियों पर जिले की क्षेत्र पंचायतों की कार्ययोजना के आधार पर विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया जाना।

विकास योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों/विषयों को प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक हैः–

- विकासात्मक आवश्यकताओं पर केन्द्रित योजना।
- दो से अधिक क्षेत्र पंचायत को लाभ पहुॅचाने वाले कार्य।
- सामाजिक योजना को परियोजना का अनिवार्य हिस्सा बनाना।
- स्त्री–पुरूष समानता के प्रति जिम्मेदार योजना।
- सतत् विकास लक्ष्यों (**Sustainable Development Goal-SDG**) का स्थानीयकरण।
- स्वच्छता, जल आपूर्ति, खेल के मैदान, पार्क आदि जैसी बुनियादी सेवाओं पर ज़ोर देना।
- जिला पंचायतों को सौंपे गए बुनियादी ढांचे का विकास और रख–रखाव।
- आर्थिक विकास, आय में वृद्धि और गरीबी उन्मूलन।
- ई–सक्षमता
- नवीकरणीय ऊर्जा आदि महत्वपूर्ण योजनाओं को सम्मिलित करने की समुचित प्राथमिकता।

जिला योजना की सहयोगी प्रणालियाँ

- **संसाधन संचय व फंड–फ्लो–** नवंबर माह तक अनुदान की जानकारी प्राप्त न होने पर पूर्व वर्ष की धनराशि के आधार पर योजना निर्माण। राज्य द्वारा पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से निर्धारित समयावधि में जिला पंचायतों को धनराशि अन्तरित किया जाना जिससे प्राप्तियों एवं व्यय दोनों की निगरानी हो सके।
- **जनपद स्तर पर समन्वय व्यवस्था–** जनपद स्तर पर जिला समन्वय समिति।
- मानव संसाधन सहयोग– क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, स्थिति विश्लेषण, तकनीकी और प्रशासनिक मूल्यांकन व अनुमोदन, कार्यान्वयन, अनुश्रवण आदि।

प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुमोदन

- जिला विकास योजना का अनुमोदन जिला पंचायत की बैठक में।
- परियोजनाओं के लिए आंकलन व तकनीकी स्वीकृति प्रचलित शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अनुसार।

जिला विकास योजना की समय–सीमा

- प्रत्येक वर्ष योजना तैयार करने का अभियान राज्य सरकार के स्तर से।
- अनुमानित समय–सीमा– माह दिसंबर से अप्रैल अंत तक।

योजना संबंधी ज़रूरतों की पहचान व प्राथमिकता निर्धारण

- क्षेत्र पंचायत विकास योजना से अवशेष आवश्यक गतिविधियों को जिला विकास योजना में सम्मिलित किया जाए।
- स्थिर विकास लक्ष्यों, संकेतांको एवं बड़े लक्ष्यों पर ध्यान।
- जी.पी.डी.पी. में सम्बद्ध कार्यों के पूर्ण होने का अनुश्रवण के उपरान्त परियोजना तैयार किया जाना।
- प्राथमिकीकरण– साफ–सफाई, पेयजल संसाधन, आजीविका को सषक्त अनाने, कृषि योजनाओं, परम्परागत कृषि विकास योजना, समेंकित बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार परियोजना, सामुदायिक संचालन विकास योजना, प्राकृतिक संसाधनों और रख–रखाव को ध्यान में रखकर परियोजनाओं का निर्माण।

कार्यक्रमों व योजनाओं का सामाजिक ऑडिट

- प्रत्येक छः माह में सामाजिक ऑडिट।
- विभिन्न कार्यक्रमों के वित्तीय रिकार्ड व अन्य अभिलेख, कार्य स्थलों व सेवाओं का मूल्यांकन।
- मूल्यांकन प्रक्रिया के निष्कर्षों पर चर्चा एवं पारदर्शिता तथा जवाबदेही, संबंधित शिकायतों की समीक्षा हेतु जिला पंचायत की बैठक।
- समाजिक ऑडिट रिपोर्ट का जिला पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शन।
- जिला सभाओं के प्रारम्भ में ऑडिट रिपोर्ट पढ़ कर सुनाना।

जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन हेतु समितियाँ

- राज्य स्तर पर गठित अधिकारिता समिति– ''हाई पावर कमेटी''– कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में।
- जनपद स्तर पर गठित जिला पंचायत योजना समिति– जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में।

जिला विकास योजना के लिए संसाधन

सामाजिक संसाधन	स्वयं सेवी संस्थायें, समुदाय आधारित संगठन आदि।
मानव संसाधन	आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव संसाधन, एस.एच.जी. समूह आदि।
प्राकृतिक संसाधन	भूमि, वन, जल, वायु एवं प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सभी संसाधन।
वित्तीय संसाधन	केन्द्र एवं राज्य सरकार, ओ.एस.आर. आदि से उपलब्ध धन के साथ–साथ अन्य विभागों के वित्तीय संसाधन, जिला पंचायत सी.एस. आर. फण्ड, बैंक व अन्य स्रोतों से उपलब्ध संसाधन।

जिला विकास योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

- वर्षिक कार्ययोजना भारत सरकार द्वारा विकसित एकीकृत एप्लीकेशन ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर दिनांक 31 मार्च, 2023 तक अपलोड करेंगी।
- तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर ई–ग्राम स्वराज–पी.एफ.एम.एस. इन्टीग्रेटेड सिस्टम से वर्क आई–डी के आधार पर भुगतान करेंगी।

जिला पंचायत सदस्य की भूमिका

- जिला पंचायत सदस्य को अपने क्षेत्र से संबंधित पंचायतों में जी0पी0डी0पी0 की बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना चाहिये जिससे ग्राम पंचायतों में कराए जाने वाले विकास कार्यो की उन्हें जानकारी हो सके।
- ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा अपनी कार्य योजना में एक ही कार्य की पुनरावृत्ति को रोकना।
- ऐसी ग्राम पंचायतें जहाँ किसी विकास कार्य को कराने हेतु धनाभाव है, उक्त कार्य को जिला पंचायत विकास योजना में अनिवार्य रूप से सम्मिलित कराना।
- जिला पंचायत विकास योजना में अवस्थापना, सामाजिक एवं आर्थिक विकास से सम्बन्धित विषयों को डी0पी0डी0पी0 से सम्मिलित करना।

8

सतत् विकास लक्ष्य एवं उनका स्थानीयकरण

(L.S.D.G.)

" उठो, जागो और तब तक नहीं रूको, जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाये।

–स्वामी विवेकानन्द

सतत् विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण

सतत् विकास लक्ष्य

परिचय

193 देशों ने 17 लक्ष्यों के माध्यम से एक चिरस्थायी विश्व की दिशा में काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिन्हें हम सतत विकास लक्ष्य कहते हैं।

सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं को शामिल करने वाले इन 17 लक्ष्यों के आधार पर, वैश्विक कार्य योजना तैयार की गई है और यह नए विकास की कार्य–योजना पर केंद्रित है – ''किसी को पीछे न छोड़ें''

मानव जाति के रूप में, हम अपने और ग्रह के लिए एक स्थायी भविष्य चाहते हैं। एसडीजी एकीकृत हैं और विकास के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को संतुलित करते हैं।

एसडीजी 1 जनवरी 2016 को लागू हुए और 2030 तक चलेंगे। इस घोषणा पत्र मे दूरदर्शिता और सिद्धांत, 17 लक्ष्य **(goals)** और 169 टारगेट शामिल हैं।

मुख्य लक्ष्य 5 **Ps** पर केंद्रित हैं

- लोग **(People):** सभी लोगों की भलाई
- ग्रह **(Planet):** पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा
- समृद्धि **(Prosperity):** सतत आर्थिक और तकनीकी विकास
- शांति **(Peace):** शांति हासिल करना
- साझेदारी **(Partnership):** अंतरराष्ट्रीय सहयोग में सुधार

एसडीजी एकीकृत हैं और विकास के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को संतुलित करते हैं।

''स्थानीय आर्थिक विकास, व सामाजिक न्याय'' के उद्देश्य से देश व प्रदेश निरन्तर प्रयासरत है। स्थानीय स्तर पर लक्ष्यों को प्राप्त करने में पंचायतों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है और सभी लक्ष्य सतत् विकास लक्ष्यों (**Sustainable Development Goals-SDGs**) को ग्राम पंचायतें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त कर सकती है।
सतत् विकास लक्ष्यों के अंतर्गत उन्हीं लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त एवं लाभकारी हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पंचायत स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों का विवरण निम्नवत् हैं:

गोल संख्या–01

सभी जगह गरीबी एवं उसके रूपों का अंत करना।

गोल संख्या–02

भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत् कृषि को बढावा देना।

गोल संख्या–03

स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना एवं सभी के लिए आजीवन तंदरूस्ती को बढावा देना।

गोल संख्या–04

समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन शिक्षा प्राप्ति के अवसरों को बढावा देना।

गोल संख्या–05

लैंगिक समानता हांसिल करना एवं महिलाओ और बालिकाओं का सशक्तिकरण करना।

गोल संख्या–06

सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत् प्रबंध सुनिश्चित करना।

गोल संख्या–07

सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद, सतत् एवं आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

गोल संख्या–13

जलवायु परिवर्तन के उपायों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और नियोजन प्रक्रिया में शामिल करना।

गोल संख्या–15

स्थलीय पारिस्थितिकीय– तंत्रों का संरक्षण और पुनरूद्धार करना और इनके सतत् उपयोग को बढावा देना, वनों का सतत् तरीके से प्रबन्ध करना। मरूस्थलरोधी उपाय करना, भूमि अवक्रमण को रोकना तथा परिवर्तित करना और जैव विविधता की हानि को रोकना।

गोल संख्या–16:–

सतत् विकास के लिये शांतिपूर्ण और समावेशी सोसाइटियों को बढावा देना, सभी को न्याय उपलब्ध कराना, तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह एवं समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना।

गोल संख्या–17:–

सतत विकास के लिए कार्यान्वयन के साधनों को मज़बूती देना तथा वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना

स्थानीय स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के दृष्टिगत पंचायती राज मंत्रालय ने 9 विषय/थीम के माध्यम से एसडीजी की प्राप्ति के लिये एक विषयगत दृष्टिकोण अपनाया है:–

विषय (Theme) 01 : गरीबी मुक्त गाँव

विषय (Theme) 02 : स्वस्थ गाँव

विषय (Theme) 03 : बाल हितैषी गाँव

विषय (Theme) 04 : पर्याप्त जल युक्त गाँव

विषय (Theme) 05 : स्वच्छ और हरित गाँव

विषय (Theme) 06 : आत्मनिर्भर बुनियादी ढ़ांचे वाला गाँव

विषय (Theme) 07 : सामाजिक रूप से न्यायसंगत एवं सुरक्षित गाँव

विषय (Theme) 08 : सुशासन वाला गाँव

विषय (Theme) 09 : महिला हितैषी गाँव

सशक्त पंचायत सतत् विकास

थीम संख्या	विषय	विज़न	स्थानीय लक्ष्य
1	गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत गॉव	एक गरीबी मुक्त पंचायत, जो सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करे ताकि कोई भी गरीबी में वापस न जाये। ऐसा गाँव जहॉ सभी के लिये आजीविका के साथ विकास और समृद्धि हो।	• पीडीएस, आईसीडीएस आदि सहित आजीविका और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत सभी पात्र लाभार्थियों का व्यापक चयन • व्यक्तिगत/सामूहिक उद्यमों के माध्यम से आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन • यह सुनिश्चित करना कि लोगों (गरीब और कमज़ोर) को पूरे वर्ष रियायती मूल्य पर पर्याप्त भोजन मिल रहा है। • कृषि में लगे किसानों की आय में वृद्धि • बुनियादी सेवाओं (आवास, पानी और स्वच्छता) तक पहुँच सुनिश्चित करना • मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी आधारित रोज़गार उपलब्ध कराकर गरीबी कम करना ✓ **जिला पंचायत आवश्यकतानुसार शुद्ध पाइप पेयजल की सुविधा हेतु पानी की टंकी का निर्माण एवं मत्स्य पालन को प्रोत्साहित कर रोजगार के अवसर आदि उपलब्ध करा सकती है।**
2	स्वस्थ गाँव	सभी उम्र में सभी के लिये स्वस्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना।	• उम्र के सापेक्ष कद कम होने को दूर करना। • किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया को दूर करना। • कम लागत, अत्यधिक पौष्टिक और स्थानीय रूप से प्राप्त अनाज, सब्जियॉ, फल, अंडे आदि के सेवन को बढ़ावा

			देना। • संचारी रोगों हेतु निवारक और उपचारात्मक उपाय। • मातृ मृत्यु, 05 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु को शून्य करना। • सभी के लिये चिकित्सा देखभाल और स्वास्थ्य सुविधाओं का प्राविधान कराना। ✓ **जिला पंचायत आवश्यकतानुसार पोषण वाटिकाओं को विकसित कर हरी सब्जियॉ,फल आदि पैदाकर बच्चों, किशोरियों को एवं गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध करा सकती हैं।**
3	बाल हितैषी पंचायत	यह सुनिश्चित करना कि बच्चे पूर्ण विकसित होने तक अपने अस्तित्व, विकास, भागीदारी और सुरक्षा के अधिकारों का आनन्द लेने में सक्षम बने।	• स्वस्थ बच्चों का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित सुनिश्चित करना • स्कूल में शत्–प्रतिशत नामांकन • बाल विवाह संबंधी मामलों में कमी • तस्करी के शून्य मामले • 100% बाल श्रम मुक्त • बच्चों के प्रति सभी प्रकार की हिंसा से सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना • दिव्यांग बच्चों के लिये शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करना। • **PTAs/SMCs** के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना ✓ **जिला पंचायत आवश्यकतानुसार बालक–बालिकाओं हेतु खेल का मैदान/मिनी स्टेडियम एवं ओपन जिम की स्थापना कर सकती हैं।**
4	पर्याप्त जल युक्त गाँव	सभी के लिए क्रियाशील पाइप पेयजल कनेक्श्न वाला गाँव, लक्षित मानकों के अनुसार गुणवत्ता वाले पानी की आपूर्ति, अच्छे जल प्रबंधन और कृषि संबंधी सभी ज़रूरतों के लिए प्रचूर मात्रा में पानी की उपलब्धता और जल के पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण	• सभी को पर्याप्त साफ और पीने योग्य पानी की सुविधा। • सभी की गाँव में स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच। • व्यक्तिगत शौचालय का 100 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करना। • घरों से निकले गन्दे पानी के उपचार और शुद्धिकरण पर तंत्र विकसित करना। • 100 प्रतिशत खुले में शौच मुक्ति को सुनिश्चित करना। • भूजल की कमी, आर्सेनिक संदूशण, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को संबोधित करना। • सभी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र को बनाये रखना। ✓ **जिला पंचायत जल संरक्षण एवं भूजल पुनर्भरण हेतु आवश्यकतानुसार तालाब एवं चेक डैम्स का निर्माण कर सकती हैं।**

5	स्वच्छ और हरा भरा गाँव	हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक ऐसा गाँव बनाना, जो प्रकृति की उदारता से हरा–भरा हो, अक्षय ऊर्जा के उपयोग, स्वच्छ, पर्यावरण और जलवायु की रक्षा के लिए लचीला हो	• अक्षय एवं नवीकरणीय ऊर्जा का 100% उपयोग • 100% खुले में शौच मुक्त • पौधरोपण एवं नर्सरी बेड द्वारा हरियाली सुनिश्चित करना • ईधन की लकड़ी का प्रयोग कम करें • प्रकाश, घरेलू उपकरणों, खाना पकाने, सिंचाई के लिए सभी तक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना • जैव–विविधता और परिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और रखरखाव सुनिश्चित करना। ✓ **जिला पंचायत आवश्यकतानुसार स्वच्छता हेतु सार्वजिक शौचालय का निर्माण एवं जैविक कचरे व गोबर के निपटान हेतु गोबर गैस प्लांट स्थापित कर घरेलू ईधन की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकती हैं।**
6	आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गाँव	आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे को प्राप्त करना और सभी के लिये पर्याप्त, सुरक्षित और किफायती आवास और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना।	• सड़क प्रकाश • पाइप पेयजल व्यवस्था • व्यक्तिगत शौचालय • ग्रामीण आवास • बस स्टैंड • पुलिया/पुल निर्माण • आंगनबाड़ी केन्द्र • ग्राम पंचायत सचिवालय • खेल के मैदानों की स्थापना। • पेयजल–शौचालय–स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, सीएससी हेतु गुणवत्तापूर्ण आधारभूत संरचना। • सभी मौसमों में सड़कें/सम्पर्क मार्ग की उपलब्धता, सोलर स्ट्रीट लाइट, समुदाय स्तर पर सौर उर्जा का उपयोग, सभी के लिये पक्के घरों की उपलब्धता। • उचित ढ़की हुई नालियों द्वारा जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करना। ✓ **जिला पंचायत गरीब एवं बेसहारा हेतु रैन बसेरा, यात्री प्रतिक्षालय एवं सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित कर मार्ग प्रकाश व्यवस्था एवं सार्वजनिक भवनों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर सकती है।**
7	सामाजिक रूप से न्यायसंगत एवं सुरक्षित गाँव	गाँव के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी देखभाल स्वयं करनी चाहिए और सभी पात्र सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का लाभ मिलना चाहिए।	• गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के जीवन में सुधार। • सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सुनिश्चित करना। • एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) अन्तर्गत बच्चों और गर्भवती महिलाओं का नामांकन। • लाभकारी रोज़गार प्रदान करना। • उपर्युक्त बुनियादी ढांचा। • असमानता और सभी प्रकार के भेदभाव में कमी। ✓ **जिला पंचायत कौशल विकास हेतु विभिन्न केन्द्र स्थापित कर युवाओं को विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करा सकती हैं।**
8	सुशासन वाला गाँव	ग्राम पंचायत में सुशासन के द्वारा ग्राम	सुशासन के स्तम्भ • टीम वर्क

		के निवासियों हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विकास के लाभों को उत्तरदायी सेवा एवं वितरण के माध्यम से सुनिश्चित करना।	• प्रौद्योगिकी • समयबद्धता • पारदर्शिता • परिवर्तन/रूपांतरण ✓ **जिला पंचायत तकनीकी एवं प्रोधौगिकी का प्रयोग कर आवश्यक उपकरणों को स्थापित करके स्मार्ट पंचायतों के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकती हैं।**
9	महिला हितैषी गाँव – गाँव में समान लैंगिक विकास	लैंगिक समानता को प्राप्त करना, समान अवसर प्रदान करते हुए महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना।	• महिलाओं एवं बलिकाओं के विरूद्ध अपराध को कम करना। • सरकारी एवं निजी क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित् करना। • सामाजिक–राजनैतिक एवं आर्थिक गतिविधियों एवं समुदाय आधारित संगठन में महिलाओं की प्रतिभागिता को बढ़ाना। • महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन। • पांच वर्ष से कम आयु की सभी बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना। • महिलाओं के लिए बैंकिंग सेवा की सुविधा। • मातृ मृत्यु दर में कमी। • विद्यालयों में लड़कियों के कुल नामांकन और प्रतिधारण के लिए वातावरण बनाना। ✓ **जिला पंचायत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत संवेदनशील/सुनसान स्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरा लगवाने के साथ–साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध, स्वावलंबी व आत्म निर्भर बनाने हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उद्यम/उपक्रम स्थापित कर उनके सहायता से उत्पादों को तैयार कर बाजार उपलब्ध कराने में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकती हैं।**

उपरोक्त 09 विषयों पर कार्य करते हुए कोई भी जिला पंचायत मॉडल जिला पंचायत के रूप में स्थापित हो सकेगी। जिला पंचायतें सभी 09 विषयों पर एक साथ कार्य करे यह आवश्यक नहीं है, प्रथम चरण में पंचायत न्यूनतम 01 तथा अधिकतम 03 विषयों का चयन कर कार्य प्रारम्भ कर सकती है। प्रश्न यह है कि विषयवार ऐसी कौन सी गतिविधियॉ है जिन्हें पंचायत में किया जायेगा यह पंचायतों को बताया जाना आवश्यक है। प्रथमतयः जिला पंचायतें ऐसी गतिविधियों को चयनित करेगी जो जानकारी, जागरूकता, संवेदीकरण से जुड़ी हों क्योकि जबतक समुदाय विषयों के बारे में जागरूक नहीं होगा तब तक पंचायत लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पायेगी। समुदाय की सकारात्मक सहभागिता ही एक मंत्र है लक्ष्यों को प्राप्त करने का। पंचायत इसके लिये कम लागत एवं बिना लागत वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देते हुए चयन करेंगी और अपनी वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित करेंगी।

जिला पंचायतें कम लागत एवं बिना लागत की गतिविधियाँ यथा जन–जागरूकता हेतु प्रचार प्रसार के अन्तर्गत गोष्ठी/रैली/विभिन्न समूहों की बैठक, श्रमदान, विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर प्रदर्शनी/विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, लाभार्थीपरक योजनाओं के पंजीकरण हेतु निःशुल्क कैम्प एवं युवाओं/बेरोजगारों हेतु रोजगार मेले आदि का आयोजन कर सकती है।

जिला पंचायत सदस्यों की भूमिका

अपनी क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण हेतु 09 थीमों पर आधारित कार्यो एवं उनसे संबंधित विभिन्न गतिविधियों को सुनिश्चित कर सतत् विकास लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में अपना योगदान सुनिश्चित करना।

9

जिला पंचायत में ई–गवर्नेंस की स्थापना

" ई–गवर्नेंस आसान शासन, प्रभावी शासन और आर्थिक शासन भी है। ई–गवर्नेंस सुशासन का मार्ग प्रशस्त करता है।"

–नरेन्द्र मोदी
(भारत के प्रधानमंत्री)

जिला पंचायतों में ई–गवर्नेंस की स्थापना

ई–गवर्नेंस द्वारा शासकीय कार्यों को सूचना एवं प्रोद्योगिकी के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाना परिलक्षित है, जिससे सरकारी संस्थाओं को स्थानीय नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने एवं पारदर्शी/जवाबदेही संस्था के रूप में अपनी कार्य प्रणाली को प्रभावी बनाया जा सकता है। त्रिस्तरीय पंचायतों में भी उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक ऑनलाइन साफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित किये गये हैं, जिनका प्रयोग कर पंचायत अपने कार्यों का बेहतर नियोजन, क्रियान्वयन एवं लेखांकन तथा परिसम्पत्तियों की जीओ–टैगिंग कर जनमानस को समस्त सूचनाएं ऑनलाइन माध्यम से प्रदान कर सके।

उक्त उद्देश्य को सफल करने हेतु केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों को ICT (Information & Communication Technology) सरंचात्मक ढांचा उपलब्ध कराने हेतु ई–गवर्नेन्स के अन्तर्गत अनेक पहल किये गये हैं, उनमें से मुख्य निम्नवत् है–

- e-panchayat mission mode project (MMP) के अन्तर्गत पंचायत एंटरप्राइज सुइट (PES) के माध्यम से ग्राम पंचायतों को web-based एप्लीकेशन साफ्टवेयर प्रदान किये गये हैं, जिनमें ई–ग्राम स्वराज, एलजीडी, ऑडिट ऑनलाइन, नेशनल पंचायत पोर्टल आदि मुख्य है।
- भारत नेट के माध्यम से सभी पंचायतों को 100 एम.बी.पी.एस. के ऑप्टिकल फाइबर लीज लाइन से जोड़ा जा रहा है। उक्त ट्रांसफारमेशन से पंचायतें इण्टरनेट के माध्यम से सभी जानकारियों व सरकारी/गैर सरकारी सेवायें अपनी पंचायत से उपयोग कर पाएगी।

1. ई–ग्राम स्वराज पोर्टल एवं पी.एफ.एम.एस. प्रणाली

क्यों ई–ग्राम स्वराज?

- पंचायतों को पारदर्शी एवं जवाबदेही संस्था के रूप में विकसित करना।
- सहभागी नियोजन (Participatory Planing) एवं विकेन्द्रीकृत (Decentralized System) प्रणाली की स्थापना।
- कार्य आधारित लेखा (Work Based Accounting)।

प्रस्तावना

पंचायतों द्वारा कराये गये कार्यों का लेखा जोखा पंचायतों के जनसामान्य द्वारा भी देखा जा सके, जिससे वे अपनी पंचायत में हो रहे विकास कार्यों से भिज्ञ हो तथा पंचायतों की पारदर्शी संस्था के रूप में विकसित हो सके। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि पंचायतों द्वारा कार्यों के नियोजन से निष्पादन तक की सभी गतिविधियों को ऑनलाइन साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाये।

> ई–ग्राम स्वराज पोर्टल एक एकीकृत साफ्टवेयर है। जिसमें प्लानिंग, रिपोर्टिंग एवं एकाउन्टिंग को एक दूसरे से लिंक किया गया है। भारत सरकार के इस प्रयास से पंचायतों को ऑनलाइन कार्य करने में अधिक सुविधा होगी एवं पंचायतें पारदर्शी बनेगी।

इस परिपेक्ष्य में उक्त जानकारी को जनसामान्य को उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश की समस्त पंचायत में पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित साफ्टवेयर ई–ग्राम स्वराज को लागू किया गया है, जो कि पंचायतों के नियोजन, क्रियान्वयन तथा वेण्डर/आपूर्तिकर्ता/लाभार्थी को ऑनलाइन पेमेण्ड प्रणाली से सीधे उनके खाते में भुगतान किया जा सके।

ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित एक एकीकृत साफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा पंचायतों की कार्य प्रणाली यथा–सहभागी नियोजन, क्रियान्वयन (भौतिक प्रगति), वित्तीय प्रगति एवं परिसम्पत्तियों के सृजन से सम्बन्धित कार्यों एवं सूचनाओं का ऑनलाइन माध्यम से संचालित किया जाता है।

सर्वप्रथम पंचायतों द्वारा अपनी वार्षिक कार्ययोजना को अपलोड कर प्रत्येक कार्य के सापेक्ष

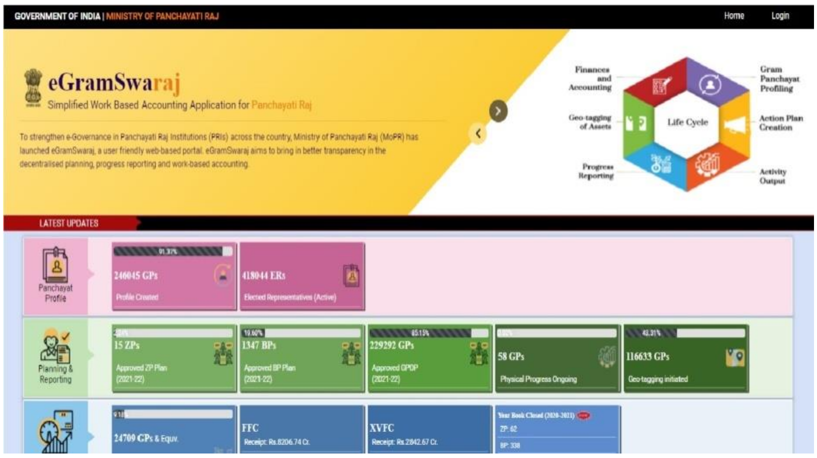

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अंकित की जाती है एवं पंचायतों द्वारा कराये जा रहे विकास सम्बन्धी कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सम्बन्धी जानकारी ऑनलाइन माध्यम से जनमानस को प्राप्त होती है, जिससे पंचायतों की कार्यप्रणाली पारदर्शी एवं पंचायतें उत्तरदायी संस्था के रूप में विकसित हो पाती है।

जिला पंचायत स्तर के विभागीय अधिकारी यथा—अपर मुख्य अधिकारी (AMA) और जिला पंचायत अध्यक्ष के संयुक्त डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से ही जिला पंचायत के ऑनलाइन भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही संपादित होती है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि सभी जिला पंचायत अध्यक्ष अपने डिजिटल सिग्नेचर का आदान—प्रदान किसी और से न कर स्वयं ही ऑनलाइन भुगतान हेतु प्रयोग करें।

पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा 15वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की धनराशि की कार्ययोजना क्रियान्वयन व ऑनलाइन पेमेण्ट प्रणाली के सम्बन्ध में दिशा–निर्देशः–

- समस्त पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा वित्त आयोग एवं अन्य योजनाओं को सम्मिलित करते हुए वार्षिक कार्ययोजना (डी.पी.डी.पी.) बनाकर क्रियान्वयन एवं भुगतान आदि की कार्यवाही पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के इण्टीग्रेटेड साफ्टवेयर **ई–ग्राम स्वराज** के माध्यम से की जायेगी।
- पंचायतों द्वारा कार्ययोजना विकसित करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी एक कार्य को टुकड़ों में विभाजित करके सम्मिलित नहीं किया जाये।
- प्रत्येक कार्य (वर्क आईडी) की तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य को प्रारम्भ किया जायेगा एवं यह जानकारी ई–ग्राम स्वराज के साफ्टवेयर पर प्रोगेस रिपोर्टिंग मद में अंकित की जायेगी।
- कार्ययोजना अंकित करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अंकित हो, जिससे पंचायत की वार्षिक कार्ययोजना डी.पी.डी.पी. अन्तर्गत कराये गये विकास कार्यों का कार्यवार सफल निष्पादन किया जा सके।
- इस प्रकार विकसित कार्यों योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि से किये गये व्यय का ई–ग्राम स्वराज–पी.एफ.एम.एस. प्रणाली से ऑनलाइन भुगतान मेकर एवं चेकर के संयुक्त डिजिटल सिग्नेचर से किया जाना।
- कार्यों की चरणवार भौतिक प्रगति की Geo-tagging M-Actionsoft मोबाइल एप से किया जाना।
- प्रत्येक कार्य के सापेक्ष किये जाने वाले भुगतान (यथा–वेण्डर एवं श्रमिकों का भुगतान) सीधे उनके बैंक खातों में ई–ग्राम स्वराज–पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से किया जायेगा।
- वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाईनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

ई–ग्राम स्वराज के विभिन्न माड्यूल

क. पंचायत प्रोफाइल–

यह माड्यूल पंचायतों को अपने पंचायत के बारे में संक्षिप्त विवरण के प्रबन्धन की सुविधा प्रदान करता है। जैसे–

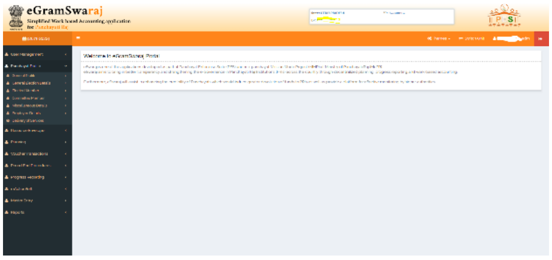

- पंचायत में उपलब्ध सुविधाओं सहित संक्षिप्त विवरण।
- पंचायत चुनाव–पंचायत के चयनित प्रतिनिधि, अध्यक्ष, जिला पंचायत एवं अपर मुख्य अधिकारी का विवरण।
- पंचायत में गठित समितियां एवं समिति के सदस्यों का विवरण।

पंचायत द्वारा भरी गयी उक्त विवरण जनप्रतिनिधियों– अध्यक्ष, जिला पंचायत एवं अपर मुख्य अधिकारी के नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध करना।

ख. प्लानिंग माड्यूल–

यह माड्यूल पंचायतों को अपनी वार्षिक कार्ययोजना बनाने तथा उसके प्रबन्धन की सुविधा प्रदान करता है, जिसके 02 मुख्य घटक हैं :–

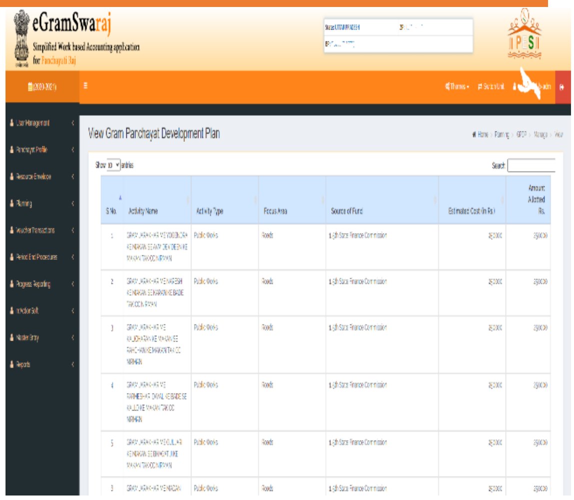

- **रिसोर्स इन्वलप** –वित्तीय वर्ष में राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत निर्गत की जाने वाली धनराशि के प्रबन्धन की सुविधा प्रदान करता है।
- **प्लानिंग**–विभिन्न योजनाओं में प्राप्त होने वाली अनुमानित धनराशि के आधार पर पंचायत अपनी वार्षिक कार्ययोजना के अंकित करने की सुविधा प्रदान करता है।

इस माड्यूल के माध्यम से पंचायत द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना प्रत्येक कार्य को एक यूनिक आईडी प्रदान करता है, जिसके आधार पर उस कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अंकित की जाती है।

इस माड्यूल के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा ग्रामीण सहभागी आंकलन (Rural Participatory Appraisal) के तहत विकसित कार्ययोजना को अंकित किया जाना अनिवार्य है तथा प्लानिंग माड्यूल में किये गये कार्यों पर ही पंचायत द्वारा भुगतान सम्बन्धित कार्यवाही की जा सकती है।

पंचायतों द्वारा अंकित की प्रथम कार्ययोजना को मुख्य कार्ययोजना तथा उसके बाद यदि कोई कार्ययोजना विकसित की जाती है तो उसे अनूपूरक कार्ययोजना कहा जाता है सभी पंचायतों द्वारा प्रत्येक वर्ष अधिकतम चार अनुपूरक कार्ययोजना अंकित की जा सकती है।

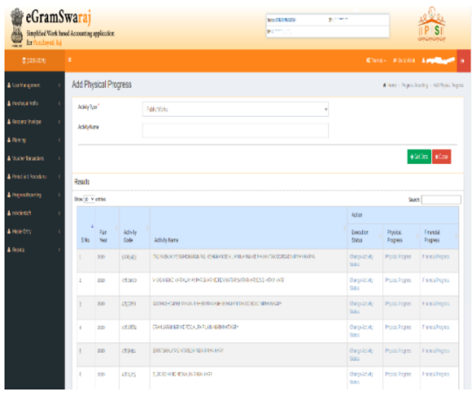

ग. प्रोग्रेस रिपोर्टिंग–

यह माड्यूल पंचायत द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित कार्यों की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ भौतिक प्रगति के अंकित एवं उसके प्रबन्धन की सुविधा प्रदान करता है।

1– तकनीकी स्वीकृति–प्रत्येक अनुमोदित कार्य के तकनीकी बिन्दुओं पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति को अंकित एवं अपलोड की सुविधा प्रदान करता है।

2– **प्रशासनिक स्वीकृति**–प्रत्येक अनुमोदित कार्य के वित्तीय बिन्दुओं पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के अंकित एवं अपलोड की सुविधा प्रदान करता है।

3– **प्रोग्रेस रिपोर्टिंग** –प्रत्येक कार्य के तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन के पश्चात् उन कार्यों की भौतिक प्रगति अंकित करने की सुविधा प्रदान करता है।

घ. एकाउटिंग माड्यूल–

यह माड्यूल पंचायतों को योजनावार कार्य विवरण सहित वित्तीय लेखा सम्बन्धी दस्तावेज बनाने की सुविधा प्रदान करता है, जिसके मुख्य घटक निम्नवत् हैः–

1– **मास्टर इंट्री** – पंचायत द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं सम्बन्धित बैक खातों के विवरण के प्रबन्धन की सुविधा प्रदान करता है।

2– **डी.एस.सी. मैनेजमेन्ट** –पंचायतों से सम्बन्धित अधिकारी (मेकर) एवं प्रतिनिधि (चेकर) के डिजिटल सिग्नेचर का पंजीकरण किया जाता है। तदोपरान्त उच्च अधिकारी एवं पी. एफ.एम.एस. से अनुमोदन के उपरान्त भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जाती है।

3– **वाउचर/ट्रान्जेक्शन**–पंचायतों द्वारा योजनावार आय (Receipt) एवं व्यय (Payment) का विवरण अंकित करने की सुविधा प्रदान करता है।

4– **दैनिक/मासिक/वार्षिक पुस्तिका बन्दी**–यह घटक पंचायतों को अपनी कैशबुक का मिलान सम्बन्धित बैंक खाते से कर दैनिक/मासिक/वार्षिक पुस्तिका बन्द करने की सुविधा प्रदान करता है।

इस माड्यूल के माध्यम से पंचायतें योजनवार प्राप्त धनराशि के सापेक्ष वार्षिक कार्ययोजना में अनुमोदित कार्य के यूनिक आईडी के सापेक्ष विभिन्न वेण्डर की सहायता से धनराशि को आय–व्यय किया जाता है।

पंचायतों द्वारा जिन वेण्डर/आपूर्तिकर्ता तथा लाभार्थियों को भुगतान करने हेतु उन वेण्डर/आपूर्तिकर्ता/लाभार्थियों को ई–ग्रामस्वराज पर अंकित करते हुए पी.एफ.एम.एस. से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि एकाउटिंग माड्यूल अन्तर्गत पंचायतों को मात्र वाउचर इन्ट्री से ही कैशबुक तथा अन्य लेखा सम्बन्धी दस्तावेज साफ्टवेयर द्वारा स्वतः ही तैयार किया जाता है।

ड. एम–एक्शन साफ्ट–

यह एक मोबाइल एप है, जिसके माध्यम से ई–ग्राम स्वराज के प्रोग्रेस रिपोर्टिंग एवं एकाउटिंग माड्यूल पर प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति वार कार्यों की जीओ टैगिंग एवं फोटोग्राफ अपलोड की जाती है। प्रत्येक कार्य की चरणवार भौतिक प्रगति अंकित किये बिना कोई भुगतान नहीं किया जा सकता है।

ई–ग्राम स्वराज पर ऑनलाइन भुगतान करने हेतु आवश्यक तैयारी/व्यवस्थायें

- अध्यक्ष, जिला पंचायत एवं अपर मुख्य अधिकारी के पास के क्लास–3 (Signing + encryption) स्तर के डिजिटल सिग्नेचर (डी.एस.सी.)/ डोंगल होना अनिवार्य है।
- कार्यालय अन्य उपयुक्त स्थान पर एक कम्प्यूटर सिस्टम/लैपटॉप के साथ उपयुक्त इन्टरनेट की व्यवस्था हो, जिससे कि पंचायत स्तर के ऑनलाइन भुगतान किया जा सके।

- ऑनलाइन प्रणाली हेतु उपयोग किये जा रहे कम्प्यूटर सिस्टम/लैपटॉप में जावा, डी.एस.सी. साइनर साफ्टवेयर तथा विन्डोज ओ.एस. का होना अनिवार्य है। जावा तथा डी.एस.सी. सिग्नेचर का नवीन संस्करण E-gramswaraj पोर्टल पर उपलब्ध है।
- पंचायत की अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा तदोपरान्त प्रत्येक आईडी के सापेक्ष वित्तीय एवं भौतिक स्वीकृति प्राप्त कर कार्य को आनगोईंग किया जायेगा।
- ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर वित्तीय वर्ष की सभी दैनिक/मासिक पुस्तिका को बन्द कर योजनावार प्रारम्भिक अवशेष की त्रुटिरहित गणना किया जाना अनिवार्य होगा।
- ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा एवं आई.एफ.एस.सी. कोड का मिलान पी.एफ.एम.एस. पर अंकित जानकारी से किया जाएगा तथा यह विवरण दोनों साफ्टवेयर पर समान होना अनिवार्य है।
- उक्त विवरण सामान होने की दशा में ही योजनावार पोस्टिंग हो पायेगी।
- उक्त ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के लिए पंचायतों का पी.एफ.एम.एस. पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- क्षेत्र पंचायतों का पंजीकरण पी0एफ0एम0एस0 पर उनकी फंडिंग एजेन्सी (राज्य/जनपद) स्तर से ही किया जा सकता है। तत्पश्चात् क्षेत्र पंचायतों द्वारा पी.एफ.एम.एस. पर लॉगिन कर सम्बन्धित स्कीम को बैंक खाते से मैप करते हैं और इसका अनुमोदन जनपद स्तर से लिया जा सकता है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होते ही सम्बन्धित ग्राम पंचायत का डाटा पी.एफ.एस.एस. पोर्टल से ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर पोर्ट हो जायेगा।
- शासनादेश दिनांक 16 जून एवं 29 जून, 2020 के अनुसार विभिन्न ग्राम पंचायत स्तर के मेकर, चेकर एवं स्वीकृति निम्नवत् हैः–

पंचायत	मेकर	चेकर	राज्य स्तर की स्वीकृति
जिला पंचायत	अपर मुख्य अधिकारी	अध्यक्ष, जिला पंचायत	निदेशक, पंचायतीराज

यूजर (जनपद/विकास खण्ड/त्रिस्तरीय पंचायत) निर्माण

ऑनलाइन पेमेन्ट प्रणाली हेतु निम्नलिखित स्तर पर यूजर मॉड्यूल बनाया गया हैः–

राज्य स्तर–अपर मुख्य अधिकारी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रोफाइल/डी.एस.सी. का अनुमोदन।

मेकर तथा चेकर का प्रोफाइल पंजीकरण

- सम्बन्धित चेकर एवं मेकर को ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा एवं यह यूजर वर्तमान में उपयोग किये जा रहे ई–ग्राम स्वराज पोर्टल के एडमिन यूजर से भिन्न होंगे।
- ऑनलाइन भुगतान किये जाने हेतु मेकर तथा चेकर की आई.डी. एवं पासवर्ड जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- ई–ग्राम स्वराज पोर्टल के ऑनलाइन पोर्टल पर मेकर एवं चेकर की यूजर प्रोफाइल निर्माण हेतु मेकर/चेकर के द्वारा लॉग–इन कर यूजर प्रोफाइल अन्तर्गत निम्न विवरण अंकित किया जायेगा :–

नोटः– नवीन योजना को ऑनलाइन पेमेण्ट हेतु सर्वप्रथम ई–ग्राम स्वराज पोर्टल के एडमिन यूजर से दैनिक एवं मासिक पुस्तिका को बन्द कर, प्रारम्भिक अवशेष गणना एवं बैंक खाता का विवरण, पी.एफ.एम.एस. से मिलान करने के उपरान्त सर्वप्रथम मेकर की आई.डी. से ही लॉगिन किया जाना अनिवार्य है।

नाम–
पदनाम–
विभाग–
मोबाइल नम्बर–
ईमेल आईडी–

- ब्लाक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी का वैध ई–मेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर का होना अनिवार्य है।
- पंजीकृत मोबाइल नम्बर एवं ईमेल आईडी पर प्राप्त ओ.टी.पी. से ही सत्यापन उपरान्त भुगतान किया जा सकता है।
- मेकर/चेकर द्वारा अंकित किये गये विवरण के उपरान्त ही उच्च स्तर पर अनुमोदन के लिये प्रेषित होगी।

डी.एस.सी. पंजीकरण एवं अनुमोदन

राज्य स्तर–

- राज्य स्तर पर सम्बन्धित अधिकारी की डी.एस.सी. पंजीकृत की जायेगी।
- सम्बन्धित डी.एस.सी. से जिला स्तर की डी.एस.सी. पर अनुमोदन दिया जायेगा।

जिला स्तर–

- जिला स्तर पर सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी की डी.एस.सी. पंजीकृत की जायेगी।
- राज्य स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
- सम्बन्धित डी.एस.सी. से विकास खण्ड स्तर की डी.एस.सी. पर अनुमोदन दिया जायेगा।

विकास खण्ड स्तर–

- विकास खण्ड स्तर पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी की डी.एस.सी. पंजीकृत की जायेगी।
- मुख्य विकास अधिकारी स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
- खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मेकर एवं ब्लाक प्रमुख द्वारा चेकर पर अपनी डी.एस.सी. पंजीकृत की जायेगी।
- विकास खण्ड स्तर से पंजीकृत डी.एस.सी. का अनुमोदन मुख्य विकास अधिकारी स्तर से प्राप्त किया जायेगा।
- मेकर द्वारा ई–ग्राम स्वराज पर सभी डेटा इन्ट्री कर डिजिटल सिग्नेचर किया जायेगा।
- चेकर स्तर पर मेकर द्वारा की गयी इन्ट्री पर अनुमोदन प्रदान कर अपनी डी.एस.सी. द्वारा डिजिटल सिग्नेचर किया जायेगा।

मेकर एवं चेकर का डी.एस.सी. पंजीकरण

- ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर मेकर/चेकर लॉग–इन कर मास्टर इन्ट्री–डी.एस.सी. मैनेजमेन्ट–डी. एस.सी. पंजीकरण विकल्प पर जा कर डी.एस.सी. को पंजीकृत किया जायेगा।
- डी.एस.सी. पंजीकृत किये जाने के दौरान मेकर/चेकर द्वारा सम्बन्धित डी.एस.सी. टोकन सिस्टम में इनसर्ट किया जायेगा, तत्पश्चात् टोकन का पासवर्ड प्रविष्ट कर कर्न्फम साइन–इन किया जायेगा।
- उक्त कार्य के पश्चात् सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी द्वारा मेकर/चेकर के डी.एस.सी. पर अनुमोदन दिया जायेगा।
- उक्त कार्य करते समय मेकर की लॉगिन आईडी से ही सर्वप्रथम लॉग–इन किया जाना अनिवार्य होगा।

- उक्त रूप से डी.एस.सी. विवरण प्रदर्शित होगा, जिस पर सेव डी.एस.सी. विकल्प का चयन करते हुए मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी अंकित किया जायेगा।
- ओटीपी सबमिट करने के उपरान्त डी.एस.सी. अनुमोदन हेतु मुख्य विकास अधिकारी के स्तर पर स्वतः ही उपलब्ध हो जायेगी।
- मुख्य विकास अधिकारी स्तर से क्षेत्र पंचायत स्तर की डी.एस.सी. के अनुमोदन हेतु मास्टर इन्ट्री–डी.एस.सी. प्रबन्धन–अप्रूव डी.एस.सी. चयनित किया जायेगा।

वेण्डर/आपूर्तिकर्ता एवं लाभार्थी का पंजीकरण–

- वेण्डर/आपूर्तिकर्ता एवं लाभार्थी पंजीकरण हेतु ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध विकल्प एजेंसी, इम्पलाई, रेसीडेन्ट विकल्प में किसी एक में निम्न प्रकार से पंजीकृत किया जायेगा–
- एजेन्सी–समस्त वेण्डर आपूर्तिकर्ता
- इम्पलाई–पंचायत स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारी/लाभार्थी एवं ब्लाक प्रमुख।
- रेसीडेन्ट–पंचायत में रहने वाले लाभार्थी ।
- उक्त एजेंसी/लाभार्थी का पंजीकरण हेतु निम्न जानकारी आवश्यक होगी –
    - स्थाई पता–
    - बैंक का नाम–
    - आई.एफ.एस.सी. कोड
    - बैंक का खाता संख्या–
- उक्तानुसार एजेंसी/लाभार्थी का विवरण अंकित करने के उपरान्त मेकर एवं चेकर द्वारा अपनी डी.एस.सी. से अनुमोदित करना अनिवार्य होगा।
- मेकर एवं चेकर के डिजिटल हस्ताक्षर करने के उपरान्त एजेंसी/लाभार्थी का विवरण पी.एफ.एम.एस. पर स्वतः अनुमोदन हेतु उपलब्ध हो जायेगा, जिसमें कि न्यूनतम दो कार्य दिवस का समय लगता है।

मेकर द्वारा ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर ऑनलाइन व्यय वाउचर अंकित करना –

- मेकर द्वारा केवल पी.एफ.एम.एस. से अनुमोदित एजेन्सी को ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा।
- ऑनलाइन पेमेन्ट हेतु मेकर द्वारा लॉग इन कर ट्रान्जेक्शन वाउचर ट्रान्जेक्शन–पेमेन्ट वाउचर–ऑनलाइन पेमेन्ट–वाउचर–एड चयनित किया जायेगा।

व्यय वाउचर का विवरण–

मेकर द्वारा निम्न विवरण व्यय वाउचर के लिए अंकित किया जायेगा–

- नेचर ऑफ पेमेन्ट–एक्सपेन्डीचर
- वर्क आईडी–कार्ययोजना की उस कार्य की आईडी जिस पर भुगतान किया जाना है।
- सम्बन्धित योजना का नाम
- सम्बन्धित एकाउण्ट हेड्
- वाउचर दिनांक
- व्यय का विवरण संक्षेप में–भुगतान क्यों और किसको किया जा रहा है।
- मोड ऑफ पेमेन्ट–पी.एफ.एम.एस.
- एजेन्सी का चयन जिनको भुगतान किया जाना है।

उक्त विवरण अंकित करने के पश्चात् मेकर द्वारा व्यय वाउचर को फ्रीज किया जायेगा।

मेकर द्वारा फण्ड ट्रांसफर आर्डर (एफ.टी.ओ.) निर्गत करना–

- दैनिक पुस्तिका बन्द करने के पश्चात् मेकर द्वारा फण्ड ट्रान्सफर आर्डर (एफ.टी.ओ.) निर्गत किया जायेगा।
- एफ.टी.ओ. निर्गत करने हेतु मेकर द्वारा ट्रान्जेक्शन–वाउचर–ट्रान्जेक्शन–पेमेन्ट वाउचर–ऑनलाइन पेमेन्ट वाउचर–साइन एफ.टी.ओ. चयनित किया जायेगा।
- निम्नानुसार प्रत्येक व्यय वाउचर पर मेकर (खण्ड विकास अधिकारी) द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर अंकित किया जायेगा।
- पंचायत द्वारा एक दिवस में जितने भी वाउचर उक्तानुसार साफ्टवेयर पर फ्रीज किया गया होगा उन सभी के सापेक्ष दिवस का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् दैनिक पुस्तिका बन्दी करते ही एफ.टी. ओ. जनरेट होगा एवं मेकर के द्वारा उस पर अपनी डी.एस.सी. से हस्ताक्षर किया जाएगा।
- मेकर के डिजिटल हस्ताक्षर करने के उपरान्त एफ.टी.ओ. की एक फाइल जिसमें सभी डिजिटल हस्ताक्षर किये गये व्यय वाउचर सम्मिलित होगें वे स्वतः ही चेकर (ब्लाक प्रमुख) को ऑनलाइन उपलब्ध हो जायेगें।

चेकर द्वारा फण्ड ट्रांसफर आर्डर (एफ.टी.ओ.) निर्गत करना –

- सम्बन्धित चेकर द्वारा लॉग इन कर निम्नानुसार एफ.टी.ओ. डिजिटल हस्ताक्षर किया जायेगा।
- चेकर द्वारा एफ.टी.ओ. निर्गत किये जाने हेतु मास्टर इन्ट्री–डी.एस.सी. प्रबन्धन–साइन एफ.टी.ओ. चयनित किया जायेगा।
- चेकर (ब्लाक प्रमुख) के अनुमोदनोपरान्त एफ.टी.ओ. स्वतः ही पी.एफ.एम.एस. तथा बैंक के अनुमोदन हेतु उपलब्ध हो जायेगी, जिसके पश्चात् न्यूनतम दो दिवसों में एजेंसी/लाभार्थी के खाते में धनराशि हस्तान्तरित हो जायेगी।
- यदि किसी कारणवश भुगतान नहीं हो पाता है तो उसकी जानकारी ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर न्यूनतम 02 दिवस के उपरान्त ही उपलब्ध होगी।

रिपोर्टिंग–

ई–ग्राम स्वराज पोर्टल के होम पेज पर ही नियोजन, क्रियान्वयन तथा लेखांकन से सम्बन्धित रिपोर्ट जैसे–Approved plan, Sector wise report, Cashbook, Online payment report, Report, DSC status reportm, Vender status, Geo-tagging report, amount pending status of PFMS reprot इत्यादि को देखा जा सकता है।

ई–ग्राम स्वराज–पी.एफ.एम.एस. ऑनलाइन पेमेण्ट प्रणाली हेतु पंचायत सचिव एवं प्रधान/प्रमुख/अध्यक्ष के उपयोग हेतु 'क्या करें?' या 'क्या न करें?' सम्बंधी जानकारी।

क्या करें? (Dos)	क्या न करें? (Don'ts)
1– मेकर एकाउन्ट पर सचिव द्वारा स्वयं का मोबाईल नं0 एवं ई–मेल तथा चेकर एकाउन्ट पर ग्राम प्रधान/प्रमुख/अध्यक्ष द्वारा स्वयं का मोबाईल नं0 एवं ई–मेल अंकित करें।	1– मेकर तथा चेकर द्वारा अपने ई–ग्राम स्वराज एकाउन्ट पर किसी अन्य, जैसे कम्प्यूटर आपरेटर इत्यदि का मोबाईल नं0 तथा ई–मेल यूजर प्रोफाईलपर अंकित न करें।
2– मेकर/चेकर अपने ई–ग्राम स्वराज एकाउन्ट का यूजर आई0डी0तथा पासवर्ड अपने पास ही रखें।	2– मेकर/चेकर ई–ग्राम स्वराज के यूजर आई0डी0 तथा पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति से साझा न करें।
3– मेकर/चेकर अपने डी0एस0सी0 डोंगल अपने पास ही रखें।	3– डी0एस0सी0 डोंगल किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित न करें।
4– मेकर/चेकर अपने डी0एस0सी0 का उपयोग स्वयं करें तथा फण्ड ट्रान्सफर ऑडर (FTO) पर Digital हस्ताक्षर मेकर/चेकर द्वारा उसी दिन किया जाये।	4– मेकर तथा चेकर फण्ड ट्रान्सफर ऑडर (FTO) पर Digital हस्ताक्षर अलग–अलग दिवस पर न करें।
5– किसी भी तकनीकी समस्या के निस्तारण हेतु सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क करें।	5– मोबाईल तथा ई–मेल पर प्राप्त OTP किसी अन्य व्यक्ति से साझा न करें।
6– केवल उन्ही कार्य/ Work ID के सापेक्ष भुगतान करें जिन पर तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका हो।	6–एक्शन सॉफ्ट पर वित्त/प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुमोदन अंकित करे बिना किसी कार्य/Work ID के सापेक्ष भुगतान न करें।
7– मेकर/चेकर द्वारा फण्ड ट्रान्सफर ऑडर (FTO) Digital हस्ताक्षर करने के उपरान्त यदि सम्बन्धित भुगतान अगले दिन तक खाते में जमा ना हो तो सम्बन्धित बैंक से सम्पर्क स्थापित कर एक सप्ताह से अधिक अवधि व्यतीत होने के पश्चात् जिला पंचायत राज अधिकारी को कार्यभार अनिवार्य रूव से सूचित करें।	7– किसी बड़े लागत के कार्य को टुकड़ों में विभाजित कर कम लागत के भिन्न Work ID जनरेट न करें। ऐसा करने पर सम्बन्धित सचिव पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की जाएगी।

लोकल गर्वमेन्ट डायरेक्ट्री (एल.जी.डी.)

लोकल गर्वमेन्ट डायरेक्ट्री साफ्टवेयर का उद्देश्य प्रत्येक पंचायतों तथा ग्राम सभाओं को एक यूनिक कोड प्रदान कर सभी सम्बन्धित आर.एल.बी. (ग्रामीण स्थानीय निकायों) को उनके राज्य, जनपद, विकाखण्ड, तहसील एवं राजस्व ग्राम से मैप करना है। लोकल गर्वमेन्ट डायरेक्ट्री के माध्यम से सभी राजस्व ग्रामों को ग्राम पंचायत से क्षेत्र पंचायत को तथा क्षेत्र पंचायत को जिला पंचायत से मैप किया जाता है। एल.जी.डी. की जानकारी ऑनलाइन वेबसाइट (http://lgdirectory.gov.in) पर उपलब्ध है।

नेशनल पोर्टल

पंचायतें राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल (नेशनल पंचायत रिपोर्ट) का उपयोग करके अपनी स्वयं की वेबसाइट बना सकती है। ऐसी वेबसाइट का उपयोग पंचायत द्वारा नागरिकों को पंचायत के कार्यकलापों के बारे में मुख्य जानकारी का प्रचार करने में किया जा सकता है। राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल http://panchayatportals.gov.in पर उपलब्ध है। सभी जिला पंचायत की uppanchayat portal

विकसित कर दिया गया है और उसका डोमेन पंजीकृत कर के सभी को उपलब्ध करा दिया गया है। क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों द्वारा भी इस पोर्टल का उपयोग कर अपने पंचायत की वेबसाइट विकसित की जाय तथा पंचायत से सम्बन्धित कार्यों को पोर्टल पर अपलोड किया जाए।

सोशल ऑडिट एवं मीटिंग मैनेजमेण्ट

सामजिक लेखा परीक्षा तथा बैठक का प्रबन्धन (सोशल ऑडिट एवं मीटिंग मैनेजमेन्ट) जो http://socialaudit.gov.in पर उपलब्ध है, का उद्देश्य केन्द्र तथा राज्य सरकारों को अलग–अलग योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों की सामजिक लेखा परीक्षा को सुगम बनाना है। एक पंचायत इस एप्लीकेशन के जरिये सामजिक लेखा परीक्षा अथवा सामजिक लेखा परीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकती है। इसके अतिरिक्त एजेण्डा बनाने, बैठक की सूचना जारी करने और विभिन्न सांविधिक बैठकों की राज्य पंचायतीराज अधिनियम के अनुसार कार्यवृत्त तथा की गई कार्यवाही को रिकॉर्ड करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण और बैठक प्रबन्धन सुविधा का उपयोग किया जा सकता है।

ऑडिट ऑनलाइन–

ऑडिट ऑनलाइन https://auditonline.gov.in/ पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ई–पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में विकसित एक सामान्य एवं सरल नवप्रयोगों में से एक है। ऑडिट ऑनलाइन पंचायतों के सभी तीन स्तरों अर्थात जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और लाइन विभाग में लेखा परीक्षकों (राज्य ऑडिटर जनरल एवं स्थानीय लेखा) को खातों की वित्तीय लेखा परीक्षा की सुविधा प्रदान करता है। ऑडिट ऑनलाइन आंतरिक और बाहरी दोनों ऑडिट के लिए विवरण रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर न केवल खातों के ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑडिट की सुविधा देता है, बल्कि ऑडिट में शामिल ऑडिटर और ऑडिट टीम की संबद्ध सूची के साथ ऑडिटी के पिछले ऑडिट रिकॉर्ड को बनाए रखने के उद्देश्य को भी पूरा करता है और एक अच्छे वित्तीय ऑडिट टूल के रूप में कार्य करता है और पारदर्शिता एव जवाबदेही में सुधार करता है।

एम–एक्शन सॉफ्ट एप्लीकेशन–

एम–एक्शन सॉफ्ट मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना के अनरूप किए जा रहे कार्यो की प्रगति का अनुश्रवण एवं रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। यह एप्लीकेशन भौतिक प्रगति की उचित रिकॉर्डिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रत्येक कार्य की जीओ टैगिंग (अक्षांश और देशांतर) किये जाने हेतु एक उपयोगी टूल्स है।

यह एप्लीकेशन एक एंड्रॉइड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन है जो विशेष रूप से उपयोगकर्ता द्वारा लॉगिन के बाद पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों की भौतिक प्रगति की फील्ड–स्तरीय रिपोर्टिंग के लिए बनाया गया है। सभी योजनाओ के asset oriented कार्यों की Geo-tagging किया जाना अनिवार्य है।

10

पंचायत पुरस्कार

" जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो, तो उसका जीतना सुनिश्चित है।"

– नेपोलियन हिल

पंचायत पुरस्कार

पुरस्कारों के प्रकार

1. **राष्ट्रीय स्तर पुरस्कार**

   पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार

2. **प्रदेश स्तरीय पुरस्कार**

   मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना।

राष्ट्रीय स्तर पुरस्कार

पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार– पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट कार्य वाले पंचायती राज संस्थाओं को दिये जाने वाले पुरस्कारो को सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एल0एस0डी0जी0) की निम्न 09 थीमों/विषयों के आधार पर दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

विषय (Theme) 01 : गरीबी मुक्त गाँव

विषय (Theme) 02 : स्वस्थ गाँव

विषय (Theme) 03 : बाल हितैषी गाँव

विषय (Theme) 04 : पर्याप्त जल युक्त गाँव

विषय (Theme) 05 : स्वच्छ और हरित गाँव

विषय (Theme) 06 : आत्मनिर्भर बुनियादी ढ़ांचे वाला गाँव

विषय (Theme) 07 : सामाजिक रूप से न्यायसंगत एवं सुरक्षित गाँव

विषय (Theme) 08 : सुशासन वाला गाँव

विषय (Theme) 09 : महिला हितैषी गाँव

पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार

पुरस्कार की श्रेणियाँ :–

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार निम्न श्रेणियों में त्रिस्तरीय पंचायताओं को प्रदान किया जायेगा–

क्र.सं.	पुरस्कार की श्रेणी	पंचायत स्तर	क्र.सं.	स्थानीय सतत विकास थीम (LSDG Themes)
1.	दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार (DDUPSVP)	**ग्राम पंचायत** **क्षेत्र पंचायत** **जिला पंचायत**	1.	गरीबी मुक्त एवं बेहतर आजीविका वाली पंचायत
			2.	स्वस्थ पंचायत
			3.	बाल मैत्री पंचायत
			4.	पर्याप्त जलयुक्त वाली पंचायत
			5.	स्वच्छ एवं हरित पंचायत
			6.	आत्मनिर्भर बुनियादी ढाँचे युक्त पंचायत
			7.	न्यायसंगत एवं सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत
			8.	सुशासित पंचायत
			9.	महिला हितैषी पंचायत
2.	नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार (NDSPSVP) (केवल राष्ट्रीय स्तर पर)	**ग्राम पंचायत**	राष्ट्रीय स्तर पर 9 थीम/विषयों के अन्तर्गत संयुक्त रूप से उच्चतम अंक प्राप्त करने वाली प्रथम 3 ग्राम पंचायतें	
		क्षेत्र पंचायत	राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली 3 क्षेत्र पंचायतें (क्षेत्र पंचायतों में सम्मिलित कुल ग्राम पंचायतों के सभी 9 थीम/विषयों के औसतन अंकों के आधार पर)	
		जिला पंचायत	राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली 3 जिला पंचायतें (जिला पंचायतों में सम्मिलित कुल ग्राम पंचायतों के सभी 9 थीम/विषय के औसतन अंकों के आधार पर)	
3.	विशेष पुरस्कार (केवल राष्ट्रीय स्तर पर)	**3 (क) ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार–** सौर ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 3 ग्राम पंचायतों को यथासम्भव मंत्रालय/सम्बन्धित विभाग द्वारा पुरस्कृत किया जायेगा। **3 (ख) कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार–** राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम 03 ग्राम पंचायतें जिन्होंने पंचायत में नेट जीरो कार्बन एमीशन प्राप्त करने में उत्कृष्ट कार्य किया हो।		

		3 (ग) **नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार–** यह पुरस्कार ऐसी ग्राम पंचायत को प्रदान किया जायेगा जो कि एक से अधिक बार दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। 3 (घ) **पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्था पुरस्कार–** राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम 03 संस्था जिन्होंने एल.एस.डी.जी. के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अभूतपूर्व कार्य किया हो। 3 (ङ) **विशेष प्रतिभागिता पुरस्कार–** ऐसे प्रदेश जहाँ पर सबसे अधिक ग्राम पंचायतों ने उक्त पुरस्कार श्रेणियों में हिस्सा लिया हो।

दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार का स्तर/संख्या

पुरस्कार का स्तर	**पंचायतों की संख्या**		
	ग्राम पंचायत	**क्षेत्र पंचायत**	**जिला पंचायत**
क) विकास खण्ड स्तर	27 (प्रत्येक थीम/विषय में 03 ग्राम पंचायत)	–	–
ख) जनपद स्तर पर	27 (प्रत्येक थीम/विषय में 03 ग्राम पंचायत)	27 (प्रत्येक थीम/विषय में 03 क्षेत्र पंचायत)	–
ग) राज्य स्तर पर	27 (प्रत्येक थीम/विषय में 03 ग्राम पंचायत)	27 (प्रत्येक थीम/विषय में 03 क्षेत्र पंचायत)	27 (प्रत्येक थीम/विषय में 03 जिला पंचायत)
घ) राष्ट्रीय स्तर पर	27 (प्रत्येक थीम/विषय में 03 ग्राम पंचायत)	27 (प्रत्येक थीम/विषय में 03 क्षेत्र पंचायत)	27 (प्रत्येक थीम/विषय में 03 जिला पंचायत)

पुरस्कार धनराशि एवं प्रमाण–पत्र

राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कारों की संख्या एवं धनराशि निम्नवत् वर्णित है–

पुरस्कार प्राप्तकर्ता	स्पर्धा का स्तर	पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या	प्रत्येक थीम हेतु अनुमानित पुरस्कार की धनराशि	टिप्पणी
ग्राम पंचायत (DDUPSVP)	राष्ट्रीय	3 (प्रत्येक थीम हेतु)	• प्रथम पुरस्कार–रू. 50 लाख • द्वितीय पुरस्कार–रू. 40 लाख • तृतीय पुरस्कार–रू. 30 लाख कुल = रू. 1.20 करोड़	पुरस्कार वितरण पंचायती राज मंत्रालय/ नोडल मंत्रालय/विभाग द्वारा दिया जायेगा।
ग्राम पंचायत (NDSPSVP)	राष्ट्रीय	3 (best out of all themes)	• प्रथम पुरस्कार–रू. 1.5 करोड़ • द्वितीय पुरस्कार–रू. 1.25 करोड़ • तृतीय पुरस्कार–रू. 1 करोड़ कुल = रू. 3.75 करोड़	पुरस्कार वितरण पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा।
क्षेत्र पंचायत (DDUPSVP)	राष्ट्रीय	3 (for each theme)	• प्रथम पुरस्कार–रू. 50 लाख • द्वितीय पुरस्कार–रू. 40 लाख • तृतीय पुरस्कार–रू. 30 लाख कुल = रू. 1.20 करोड़	पुरस्कार वितरण पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा।
क्षेत्र पंचायत (NDSPSVP)	राष्ट्रीय	3 (best out of all themes)	• प्रथम पुरस्कार–रू. 1 करोड़ • द्वितीय पुरस्कार–रू. 75 लाख • तृतीय पुरस्कार–रू. 50 लाख कुल = रू. 2.25 करोड़	पुरस्कार वितरण पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा।
जिला पंचायत (DDUPSVP)	राष्ट्रीय	3 (for each theme)	• प्रथम पुरस्कार–रू. 1.5 करोड़ • द्वितीय पुरस्कार–रू. 1.25 करोड़ • तृतीय पुरस्कार–रू. 1 करोड़ कुल = रू. 3.75 करोड़	पुरस्कार वितरण पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा।
जिला पंचायत (NDSPSVP)	राष्ट्रीय	3 (best out of all themes)	• प्रथम पुरस्कार–रू. 5 करोड़ • द्वितीय पुरस्कार–रू. 3 करोड़ • तृतीय पुरस्कार–रू. 2 करोड़ कुल = रू. 10 करोड़	पुरस्कार वितरण पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा।
राष्ट्रीय स्तर पर कुल पुरस्कार की धनराशि			(i) 27 GPs (Thematic): Rs.1.20 crore * 9themes = Rs. 10.80 crore (ii) 3 Best GPs (All themes) = Rs.3.75 crore (iii) 27 BPs(Thematic): Rs.1.20 crore * 9themes = Rs. 10.80 crore (iv) 3 Best BPs (All themes) = Rs.2.25 crore (v) 27 DPs (Thematic): Rs.3.75 crore * 9themes = Rs. 33.75 crore (vi) 3 Best DPs (All themes)= Rs.10.00crore Total : 71.35 crore	

पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार के क्रियान्वयन हेतु गठित समितियाँ

राज्य स्तर : कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य पंचायत परफॉरमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC)

जनपद स्तर : जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद पंचायत परफॉरमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (DPPAC)

विकास खण्ड स्तर : खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में ब्लाक पंचायत परफॉरमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (BPPAC)

आवेदन की प्रक्रिया–

- त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा स्वयं से संबंधित प्रश्नावलियों को भारत सरकार की वेबसाइट **www.panchayataward.gov.in** पर ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा।
- यह आवेदन योजना के जारी शासनादेश में दी गयी समय–सारिणी अनुसार निश्चित समय–सीमा में किया जाना अनिवार्य होगा।

पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार की विस्तृत जानकारी हेतु शासनादेश संख्या–1867/33–3–2022 दिनांक 07.09.2022 का अवलोकन करें।

प्रदेश स्तरीय पुरस्कार

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना।

- पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यो हेतु प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करने हेतु मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की घोषणा मा0 मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2017–18 में की गई है।
- प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायतों द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम् श्रेणी के लिए निर्धारित धनराशि (4 से 12 लाख) से पुरस्कृत किए जाने की कार्यवाही की जाती है।
- सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत को विशिष्ट धनराशि दी जाती है ।

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के प्रस्तावित मानक–

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित 09 विषयों/थीम के माध्यम से एसडीजी की प्राप्ति के लिये एक विषयगत दृष्टिकोण अपनाया गया हैः–

विषय (**Theme**) 01 : गरीबी मुक्त गाँव
विषय (**Theme**) 02 : स्वस्थ गाँव
विषय (**Theme**) 03 : बाल हितैषी गाँव
विषय (**Theme**) 04 : पर्याप्त जल युक्त गाँव
विषय (**Theme**) 05 : स्वच्छ और हरित गाँव
विषय (**Theme**) 06 : आत्मनिर्भर बुनियादी ढ़ांचे वाला गाँव
विषय (**Theme**) 07 : सामाजिक रूप से न्यायसंगत एवं सुरक्षित गाँव
विषय (**Theme**) 08 : सुशासन वाला गाँव
विषय (**Theme**) 09 : महिला हितैषी गाँव

उपरोक्त विषयों पर जनपदों में उत्कृष्ट कार्य कर उच्च अंक प्राप्त करने वाली 05 ग्राम पंचायते पुरस्कार हेतु पात्र होगी।

पुरस्कार श्रेणी एवं प्रस्तावित धनराशि

प्रथम पुरस्कार	–	रू. 12 लाख
द्वितीय पुरस्कार	–	रू. 10 लाख
तृतीय पुरस्कार	–	रू. 08 लाख
चतुर्थ पुरस्कार	–	रू. 07 लाख
पंचम पुरस्कार	–	रू. 04 लाख

आवंटित बजट के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि के अनुसार पुरस्कार की धनराशि में परिवर्तन सम्भव है।

आवेदन की प्रक्रिया

- ग्राम पंचायतें, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 के वेबपोर्टल 'हमारी पंचायत **www.hamaripanchayat.up.gov.in** पर पुरस्कार हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा।
- जनपद स्तर पर अनुमोदन किए जाने के बाद ऑनलाइन आवेदन राज्य स्तर को अग्रसरित किया जायेगा।
- शासन स्तर पर गठित एसेसमेंट कमेटी द्वारा ग्राम पंचायतों के गत वर्ष के कार्यो के आधार पर ग्राम पंचायतों के चयन एवं संख्या पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

जिला पंचायत सदस्यों की भूमिका

अपने क्षेत्रान्तर्गत अधिकाधिक ग्राम पंचायतेां को प्रोत्साहित करना कि वे बेहतर कार्य करें तथा जिला पंचायत को भी बेहतर कार्य करने में सहयोग प्रदान करना जिससे पंचायतें पुरस्कार हेतु आवेदन कर पुरस्कार प्राप्त करने का प्रयास करें।

सम्पर्क सूत्र

पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट)

लोहिया भवन, ई–6, पुरनिया, अलीगंज, लखनऊ, उ0प्र0

ई–मेल : pritup2016@gmail.com

फोन नं0 : 0522–2322923